झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
अष्टम् (बजट)सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, बुधवार, दिनांकः– 11,फाल्गुन,1943(श0) / 02 मार्च, 2022 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
08-	का0–07	श्री भानु प्रताप शाही,	घोषनाओं पर अमल करना।	पथ निर्माण	22-02-22

नोटः–08–का0–07 दिनांक–28-02-2022 को सदन द्वारा,दिनांक–02-03-2022 के लिए स्थगित।

का0–07 कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1147,दिनांक–23-02-2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित।

रॉची,
दिनांक–02 मार्च,2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–01/2021–786 /वि0स0,राँची,दिनांकः–01/03/22

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन 01/3/22
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–01/2021–786 /वि0स0,राँची,दिनांकः–01/03/22

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव,प्रश्न तथा संयुक्त सचिव,प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 01/3/22
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–01/2021–786 /वि0स0,राँची,दिनांकः–01/03/22

प्रतिलिपिः–कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 01/3/22
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी/

सत्यमेव जयते

पंचम

झारखण्ड विधान-सभा

अष्टम् (बजट)- सत्र

वर्गः-03

दिनांकः 11 फाल्गुन, 1943 (श0)
02 मार्च, 2022 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्याः-01

(1) पथ निर्माण विभागः- 01

कुल योग- 01

प्रश्नः-

उत्तरः-

श्री भानु प्रताप शाही,स0वि0स0	माननीय मंत्री, प0नि0वि0
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- 1. क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 25 करोड़ राशि तक काम के लिए निविदा में झारखण्ड राज्य के संवेदक ही भाग लेंगे; 2. क्या यह बात सही है कि 25 करोड़ राशि के काम में राज्य के बाहर के संवेदक निविदा में भाग ले रहे हैं, जिससे राज्य के संवेदक असहज महसूस कर रहे हैं; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपनी घोषणाओं के ऊपर अमल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता–2012 में प्रश्नगत प्रावधान नहीं है। सम्प्रति संहिता द्वारा सीमा का प्रतिबन्ध न होकर खुले तथा सार्वजनिक तौर पर निविदा का उपबन्ध है। जहाँ तक निविदा नियमावली का प्रश्न है, यह विभागवार गठित है। पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत ढाई करोड़ लागत के कार्यों के लिए निबंधित संवेदक की अनिवार्यता निर्धारित है तथा जिससे अधिक लागत की निविदाओं में अनिबंधित संवेदक भी निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु कार्यादेश के पश्चात् उन्हें निबंधन कराना अनिवार्य है तथा संवेदक निबंधन हेतु सीमा का बन्धेज नहीं है।

नोटः-

झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट) सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, बुधवार, दिनांक :- 11, फाल्गुन, 1943 (श0) / 02 मार्च, 2022 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
उत्तर संलग्न					
26.	न-03	डॉ0 इरफान अंसारी	आवंटन करना।	नगर विकास एवं आवास	24.02.22
★ 27.	ग्राम-20	श्री दिनेश विलियम मरण्डी	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	24.02.22
28.	पथ-02	श्री आलोक कुमार चौरसिया	पुल का निर्माण।	पथ निर्माण	17.02.22
29.	पथ-10	श्री किशुन कुमार दास	कार्रवाई करना।	पथ निर्माण	24.02.22
30.	भ-02	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	भुगतान पर रोक।	भवन निर्माण	24.02.22
31.	पथ-23	श्री मंगल कालिन्दी	निर्माण कराना।	पथ निर्माण	24.02.22
32.	पथ-25	श्री दिनेश विलियम मरण्डी	पाईप लाईन लगाना।	पथ निर्माण	24.02.22
33.	पथ-33	श्री अनन्त कुमार ओझा	पथ निर्माण कराना।	पथ निर्माण	24.02.22
34.	पथ-04	श्री विनोद कुमार सिंह	पथ का सुदृढ़ीकरण।	पथ निर्माण	17.02.22
★ 35.	ग्राम-02	श्री समीर कुमार मोहन्ती	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	17.02.22
36.	पंचा-01	श्री कोचे मुण्डा	मरम्मति कराना।	पंचायती राज	24.02.22
# 37.	ग्राम्य-05	श्री रामचन्द्र सिंह	जीर्णोद्धार कराना।	ग्रामीण कार्य	24.02.22
38.	पथ-20	श्री अमित कुमार यादव	पथ का चौड़ीकरण	पथ निर्माण	24.02.22
39.	पेय-04	सुश्री अम्बा प्रसाद	पेयजल की व्यवस्था।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.02.22
★ 40.	ग्राम-32	श्री नलिन सोरेन	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	24.02.22
41.	पथ-06	श्री बंधु तिर्की	मुआवजा का भुगतान।	पथ निर्माण	24.02.22
★ 42.	ग्राम-11	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	पथ एवं गार्डवाल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	24.02.22
43.	पथ-29	श्री लोबिन हेम्ब्रम	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	24.02.22

★ → ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक - 677, दिनांक - 25/02/22 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित।
* → ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक - 536, दिनांक - 21/02/22 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित।
# → ग्रामीण कार्य विभाग के ज्ञापांक - 304, दिनांक - 25/02/22 द्वारा जल संसाधन विभाग में हस्तांतरित।

01	02	03	04	05	06
44.	ग्राम्य-06	श्री उमा शंकर अकेला	सड़क की मरम्मति।	ग्रामीण कार्य	24.02.22
45.	न-10	श्रीमती ममता देवी	सीवर प्रणाली का कार्य करना।	नगर विकास एवं आवास	24.02.22
46.	ग्राम-34	श्री निरल पुरती	पदस्थापन करना।	ग्रामीण विकास	24.02.22
47.	पेय-01	श्री कमलेश कुमार सिंह	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	17.02.22
48.	पेय-03	श्री मथुरा प्रसाद महतो	पेयजल की आपूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.02.22
49.	न-05	श्री नवीन जयसवाल	व्यवस्था में सुधार।	नगर विकास एवं आवास	24.02.22
50.	न-04	श्री नवीन जयसवाल	कचड़ा दूर डम्प करना।	नगर विकास एवं आवास	24.02.22
51.	ग्राम-04	डॉ० इरफान अंसारी	प्रखण्ड बनाना।	ग्रामीण विकास	24.02.22
52.	न-02	श्री कमलेश कुमार सिंह	कार्रवाई करना।	नगर विकास एवं आवास	17.02.22
☆ 53.	ग्राम-14	श्री सुदिव्य कुमार	सड़कों की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	24.02.22
54.	परि-01	श्री कोचे मुण्डा	प्रशिक्षण देना।	परिवहन	24.02.22
55.	पथ-30	श्री केदार हजरा	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	24.02.22
56.	पथ-27	श्री जिगा सुसारन होरो	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	24.02.22
57.	ग्राम्य-12	श्री निरल पुरती	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	24.02.22
58.	पथ-12	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	24.02.22
✗ 59.	पथ-03	श्री समीर कुमार मोहन्ती	पुल का निर्माण।	पथ निर्माण	17.02.22
60.	पथ-19	श्री मथुरा प्रसाद महतो	नाली का निर्माण।	पथ निर्माण	24.02.22
Δ 61.	भ-03	श्रीमती ममता देवी	कार्यालय का निर्माण	भवन निर्माण	24.02.22
62.	ग्राम-18	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	पदस्थापन करना।	ग्रामीण विकास	24.02.22
☆ 63.	ग्राम-17	श्री सुखराम उराँव	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	24.02.22
64.	ग्राम्य-09	श्री रामदास सोरेन	स्वीकृति देना।	ग्रामीण कार्य	24.02.22
-✱ 65.	ग्राम-28	श्री विकास कुमार मुण्डा	रोड बनाना।	ग्रामीण विकास	24.02.22
66.	पथ-37	श्री राजेश कच्छप	पथ एवं पुल का निर्माण।	पथ निर्माण	24.02.22
☆ 67.	ग्राम-10	श्री विशुन कुमार दास	सड़कों की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	24.02.22
68.	पथ-01	श्री आलोक कु० चौरसिया	मुआवजा का भुगतान।	पथ निर्माण	17.02.22
☆ 69.	ग्राम-12	श्री उमाशंकर अकेला	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	24.02.22
70.	ग्राम्य-08	श्री राजेश कच्छप	सड़क का जीर्णोद्धार।	ग्रामीण कार्य	24.02.22
71.	पथ-13	श्री भानु प्रताप शाही	राज्यांश देना।	पथ निर्माण	24.02.22
72.	ग्राम-38	श्री भूषण बड़ा	योजना में शामिल करना।	ग्रामीण विकास	24.02.22
73.	पथ-24	श्री मंगल कालिन्दी	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	24.02.22
74.	न-01	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	लंबित नियुक्ति का निष्पादन।	नगर विकास एवं आवास	17.02.22
75.	ग्राम्य-10	श्री जिगा सुसारन होरो	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	24.02.22
76.	पथ-26	श्री रामदास सोरेन	सड़क का निर्माण	पथ निर्माण	24.02.22
# 77.	परि-02	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	बस पड़ाव का निर्माण।	परिवहन	24.02.22
78.	ग्राम्य-13	श्री नलिन सोरेन	निर्माण कार्य शुरू करना।	ग्रामीण कार्य	24.02.22

क्र०पृ०30 ..../-

☆ → ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक – 677, दिनांक – 25/02/22 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित।
✗ → पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक – 724(S), दिनांक – 26/02/22 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित।
Δ → भवन निर्माण विभाग के ज्ञापांक – 691(अ), दिनांक – 25/02/22 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में हस्तांतरित।
-✱ → ग्रामीण कार्य विभाग के ज्ञापांक – 214, दिनांक – 28/02/22 द्वारा पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित।
→ परिवहन विभाग के ज्ञापांक – 173, दिनांक – 25/02/22 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में हस्तांतरित।

01	02	03	04	05	06
79.	पथ–22	श्री अमित कुमार यादव	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	24.02.22
80.	पथ–28	श्री दशरथ गागराई	पदों का सृजन।	पथ निर्माण	24.02.22
81.	पेय–02	डॉ0 सरफराज अहमद	पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.02.22
82.	पेय–09	श्री भूषण बड़ा	मानदेय का भुगतान।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.02.22
★ 83.	ग्राम–13	डॉ0 लम्बोदर महतो	पुलों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	24.02.22
84.	ग्राम्य–17	श्री अनन्त कुमार ओझा	पथ एवं गार्डवाल का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	24.02.22
85.	न–06	श्री सरयू राय	नीति की घोषणा करना।	नगर विकास एवं आवास	24.02.22
86.	न–07	श्री सुखराम उराँव	ड्रेनेज सिस्टम दुरूस्त करना।	नगर विकास एवं आवास	24.02.22
★ 87.	ग्राम–07	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	पथ का मरम्मति।	ग्रामीण विकास	24.02.22
88.	ग्राम्य–04	श्री रामचन्द्र सिंह	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	24.02.22
89.	ग्राम–37	सुश्री अम्बा प्रसाद	मानदेय में बढ़ोतरी।	ग्रामीण विकास	24.02.22
90.	ग्राम्य–03	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	काली सूची में डालना।	ग्रामीण कार्य	24.02.22
91.	न–09	डॉ0 सरफराज अहमद	सड़क एवं नाला का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	24.02.22
92.	पेय–07	श्री लोबिन हेम्ब्रम	राशि का भुगतान।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.02.22
93.	ग्राम्य–01	श्री विनोद कुमार सिंह	ग्रामों को सड़क से जोड़ना।	ग्रामीण कार्य	17.02.22
94.	भ–04	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	कार्य अनुभव बढ़ाना।	भवन निर्माण	24.02.22

राँची,
दिनांक– 02 मार्च, 2022 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–प्रश्न–04/2020– 705 /वि0स0,राँची,दिनांक–23/02/22

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

23/02/22

(संजीत कुमार)
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–प्रश्न–04/2020– 705 /वि0स0,राँची,दिनांक–23/02/22

प्रतिलिपिः– आप्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव, (प्रश्न),झारखण्ड विधान–सभा को क्रमशः **माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय** एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

23/02/22

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–प्रश्न–04/2020– 705 /वि0स0,राँची,दिनांक–23/02/22

प्रतिलिपि :– **कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा/ वेबसाईट शाखा/ ऑनलाइन शाखा/ जे0भी0एस0,टी0भी0 शाखा/ अनागत प्रश्न एवं क्रियान्वयन समिति शाखा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/22

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर–

★ → ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक- 677, दिनांक - 23/02/22 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तांतरित।

(26)

डॉ इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–03 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मधुपुर न्यू बस स्टैण्ड में नगरपालिका द्वारा कतिपय दुकानों का निर्माण भेडिंग जोन के अंतर्गत कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इन दुकानों के आवंटन के लिए नगरपालिका पंचायत मधुपुर के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा गुप–चुप तरीके से एक मात्र दैनिक समाचार पत्र इंडियन पंच में समाचार प्रकाशित की गई, जिसका सरकुलेशन मधुपुर क्षेत्र में ना के बराबर है, जिले के व्यवसायिक पर भी इन दुकानों की बन्दोबस्ती की सूचना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं की गई और गुप–चुप तरीके से कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मोटी रकम लेकर इन दुकानों की बन्दोबस्ती बड़े व्यापारियों के हाथ कर दी गई ;	मधुपुर बस स्टैण्ड में अवस्थित 02 वेंडिग जोन के अंतर्गत नवनिर्मित दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु नियमानुसार इस आशय का विज्ञापन प्रकाशित करते हुए आवेदन आमंत्रित किया गया है। विज्ञापन का प्रकाशन इंडियन पंच, देवघर के अतिरिक्त अन्य दैनिक अखबारों यथा–हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, खबर एक्सप्रेस धनबाद में कराया गया है। उपर्युक्त 02 वेंडिग जोन में नवनिर्मित दुकानों के आवंटन हेतु गठित टाउन वेंडिग कमिटि की बैठक आयोजित कर विज्ञापन के अनुरूप योग्य पाये गये लाभुकों के बीच दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति में किया गया है। लॉटरी द्वारा सम्पन्न आवंटन की सारी प्रक्रिया की विडियोग्राफी संबंधित निकाय द्वारा करायी गयी है। सभी स्टॉल आवंटनधारक पथ विक्रेता है, जो कि टाउन वेंडिग कमिटि द्वारा अनुमोदित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसके लिए जाँच कमिटि गठित कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा आवंटन को रद्द कर पुनः नये सिरे से आवंटन की विहित प्रक्रिया अपनाकर आवंटन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपयुक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–2/वि०मं०प्र०–03 (तार–प्र०)/2022/न०वि०आ० 726 राँची, दिनांक–28/02/22

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–353 दिनांक–24.02.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/22

सरकार के अवर सचिव।

rk_D_2022_Vidhan Sabha _18

(27)

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स0वि0स0 श्री दिनेश विलियम मराण्डी द्वारा सदन में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–20 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री दिनेश विलियम मराण्डी, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड में बोदरा से डुमरिया पथ पूर्णरूपेण जीर्ण–शीर्ण हो चुका है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र एक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को खासकर आदिवासी समुदाय को अत्यंत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ पैदल चलने के लायक भी नही बचा है ;	अस्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2021–22 में मा0 स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत 8.36 कि0मी0 पथों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मा0स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न पथों के प्राक्कलन की मांग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गयी है :– 1. बड़तल्ला पंचायत अन्तर्गत बड़तल्ल ग्रामीण पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य– 2.733 कि0मी0 2. हिरणपुर पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से हाथकाठी आदिवासी टोला तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य– 1.66 कि0मी0 3. पी0डब्ल्यू0डी0 रोड छतरधुआँ से जोलो बाबूपुर, खजुरडंगा तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य– 6.95 कि0मी0 4. पी0डब्ल्यू0डी0 मुख्य पथ से विशनपुर होते हुए चिलगोजोड़ी तक पथ निर्माण कार्य– 1.325 कि0मी0 अगले वित्तीय वर्ष में मा0स0वि0स0 से विषयांकित योजना की अनुशंसा एवं प्राथमिकता प्राप्त होने पर वित्तीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–125/2022 ग्रा0का0वि0 327 राँची/दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–344 वि0स0, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–125 / 2022 ग्रा0का0वि0 327 राँची / दिनांक– 28–02–2022

प्रतिलिपिः– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–125 / 2022 ग्रा0का0वि0 327 राँची / दिनांक– 28–02–2022

प्रतिलिपिः–सचिव कोषांग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के अवर सचिव।

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–02" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, वह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के चैनपुर प्रखण्ड–जिला मुख्यालय के बीच कोयल नदी पर वर्षों पुराना पुल स्थापित है जिससे सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है तथा ग्रामीण प्रति दिन पलामू जिला मुख्यालय किसी–न–किसी कार्य को लेकर आते जाते रहते है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल पर दबाव अधिक होने के कारण पुल पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाई होती है तथा प्रशासन के आने के बाद जाम की स्थिति से लोगों को राहत मिलती है ; 3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पुल पर आये दिन दुर्घटनाए भी होती रहती है तथा छोटे–बड़े वाहन–पुल के नीचे गिरते देखा गया है ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बढ़ते वाहनों के आवागमन के हिसाब से एक और अतिरिक्त पुल का निर्माण कराने तथा पुल के दोनों ओर सड़कों का चौड़ीकरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत् पुल, डालटेनगंज जिलान्तर्गत डाल्टेनगंज–चैनपुर पथ के चैनेज–1.25 कि0मी0 पर कोयल नदी पर उच्च स्तरीय पुल से संबंधित है। पुल की लंबाई–450 मीटर है तथा पुल का कैरेज वे विथ–10 मीटर है। पुल पर आवागमन हेतु चौड़ाई पर्याप्त है। भविष्य में यातायात घनत्व (Traffic Density) का आकलन कर पथ एवं पुल के चौड़ीकरण पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–02/2022 764(5) राँची/दिनांक : 28/02/22

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–79, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–02/2022 764(5) राँची/दिनांक : 28/02/22

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–02/2022 764(5) राँची/दिनांक : 28/02/22

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(27)

श्री किशुन कुमार दास, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–10" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग मुख्यालय से बीजूपाड़ा (लोहरदगा) पथ का निर्माण कार्य गत पाँच वर्ष पूर्व पाँच सौ करोड़ रू0 की राशि से प्रारम्भ किया गया है जो अबतक सिंह कंस्ट्रक्शन द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है; 2. क्या यह बात सही है कि अब तक कराये गये निर्माण कार्य अत्यंत ही घटिया है और संवेदक द्वारा अधिकांश राशि की निकासी कर ली गई है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण पूरा कर दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार (SHAJ), पथ निर्माण विभाग अंतर्गत एक प्राधिकार (Authority)/(Body Corporate) है। जिसके माध्यम से विभाग की वृहद् योजनाएँ कार्यान्वित की जाती है। प्रश्नगत् पथ परियोजना, हजारीबाग–बड़कागाँव–टंडवा–खेलारी–बिजुपाड़ा पथ के कि0मी0 0.0 से 115.650 के चौड़ीकरण कार्य के लिए प्रथम एकरारनामा विखण्डन के पश्चात् दिनांक–06.07.2018 को संवेदक MGCPL-SCC (JV), Haryana के साथ एकरारनामा किया गया है। कार्य प्रगति में है एवं 88% भौतिक प्रगति हासिल की जा चुकी है। परियोजना के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु पर्यवेक्षण परामर्शी (Supervision Consultant) नियुक्त है। जिनके द्वारा नियमित रूप से जाँच किया जा रहा है तथा अबतक कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–12/2022, 770(5) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–326, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–12/2022, 770(5) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–12/2022, 770(5) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–भ0–02 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–सिगसिगी में पी0एच0सी0 भवन का निर्माण वर्ष 2019 से कराया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल डाल्टेनगंज के पत्रांक–207अनु0 दिनांक–25.02.2022 द्वारा प्रतिवेदित है कि पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–सिगसिगी में पी0एच0सी0 भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2020 से किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त भवन का निर्माण घटिया किस्म का किया जा रहा है तथा पदाधिकारी की मिली–भगत से अभिकर्त्ता द्वारा राशि की निकासी कर ली गई है है;	अस्वीकारात्मक। उक्त पी0एच0सी0 का निर्माण कार्य विभागीय पदाधिकारियों के निगरानी में किया जा रहा है, भुगतान की सारी कार्रवाई Quality Control Subdivision,R.C.D Daltonganj द्वारा प्राप्त गुणवत्ता, जाँच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। सुलभ हेतु जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त निर्माण की जाँच कराकर अभिकर्ता पर कार्रवाई करते हुए भुगतान पर रोक लगाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त दोनों बिन्दुओं द्वारा उठायी गयी आपत्तियाँ निराधार हैं, संवेदक द्वारा कार्य लगभग समाप्त कर लिया गया है। जल्द ही संबंधित विभाग को भवन हस्तान्तरित करने की कार्रवाई पुरी कर ली जाएगी।

25/02/22
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक– भ0–03–विधायी–(ता0प्र0भ0–02)–05/22 –715 (अ) राँची, दिनांक– 28-2-22

प्रतिलिपि– श्री छोटेलाल टूडू, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–341 वि0स0 दिनांक –24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ प्रतियों में)सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/02/22
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

(31)

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स0वि0स0 श्री मंगल कालिन्दी द्वारा सदन में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पथ–23 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री मंगल कालिन्दी, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के जुगसलाई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कटिंग चौक से दांदु (बंगाल सीमा) तक सड़क की स्थिति अत्यंत ही जर्जर होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएँ होती है तथा लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि दांदु ग्राम के आसपास के गाँवों के छात्र–छात्राओं को इसी सड़क का उपयोग करते हुए ग्राम–कटिंग में अवस्थित विद्यालयों में पठन–पाठन हेतु आना–जाना होता है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क के जीर्णोद्धार/उन्नयन कार्य/पुनः निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नाधीन पथ PMGSY-III, Batch-I, 2021-22 के अन्तर्गत T01-T02 कुमीर मोहुलटाल से खेजूडीह, ईन्डाटाड़ मोड़, गेरूवाला मोड़, कांकू से होते हुए दान्दुडीह बंगाल सीमा तक नान से स्वीकृत है, जिसकी लंबाई–15.35 कि0मी0 है। उक्त पथ की निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा निस्तार के उपरांत कार्य करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–137/2022 ग्रा0का0वि0 336 राँची/दिनांक– 01–03–2022

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–327 वि0स0, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–137/2022 ग्रा0का0वि0 336 राँची/दिनांक–01–03–2022

प्रतिलिपि:– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–137/2022 ग्रा0का0वि0 336 राँची/दिनांक–01–03–2022

प्रतिलिपि:– सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0 स0वि0स0 (33) द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–33" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत द्वारा उधवा–कटहलबाड़ी–राधानगर–सिरासिन पथ निर्माण कार्य जारी है, जो पूर्ण होने के अवस्था में है, 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पथ के मध्य लिंक पथ कटहलबाड़ी से आतापुर (NH-80) तक के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति देते पथ निर्माण करायी जा रही है, जो पूर्ण होने की अवस्था में है, 3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 में वर्णित निर्माण हेतु स्वीकृत पथ के बाद आतापुर से कैलाबाड़ी (NH-80) तक भाया खसपुरा होते हुए लिंक (Missing) पथ निर्माण होने से क्षेत्र में यातायात सुगमतापूर्वक होगी तथा Missing लिंक पथ के निर्माण होने से खण्ड–01 और खण्ड–02 में वर्णित पथ की महत्ता बढ़ जायेगी, 4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 और 02 में वर्णित पथों सहित खण्ड–03 में वर्णित Missing लिंक पथ के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए पथ निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उधवा (NH-80 पर)–कटहलबाड़ी–राधानगर –सिरासीन (NH-80 पर) पथ एवं कटहलबाड़ी से अतापुर (NH-80 पर) लिंक पथ (कुल लंबाई– 23.80 कि0मी0) को वर्ष 2018–19 में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से हस्तान्तरित करते हुए पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ का पुनर्निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत् अंश, स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है। जिसके लिए संभाव्यता प्रतिवेदन (Feasibility report) तथा निधि की उपलब्धता अनुसार विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–33 / 2022, 769(5), राँची / दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–404, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–33 / 2022, 769(5), राँची / दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–33 / 2022, 769(5), राँची / दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(34)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–04" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि कोवाड़–कोडरमा पथ गिरिडीह व कोडरमा जिला की एक मुख्य सड़क है जो जर्जर अवस्था में है ; 2. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कोवाड़–कोडरमा पथ की सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत् पथ, कोयार–कोडरमा (लंबाई–79.00 कि0मी0) पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व अधीन है। जिसका कि0मी0 0.00 से 37.00 पथांश, पथ प्रमंडल, गिरिडीह अंतर्गत तथा कि0मी0 38.00 से 79.00 पथांश, पथ प्रमंडल, कोडरमा अंतर्गत है। उक्त पथ की पूरी लम्बाई (लम्बाई–79.00 कि0मी0) के IRQP कार्य हेतु रू0 45.91 करोड़ की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके निमित्त निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तत्पश्चात कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–04 / 2022 767(5) राँची / दिनांक : 28-2-22

प्रतिलिपि:– श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–81, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–04 / 2022 767(5) राँची / दिनांक : 28-2-22

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (ससदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–04 / 2022 767(5) राँची / दिनांक : 28-2-22

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स0वि0स0 श्री समीर कुमार मोहान्ती द्वारा सदन में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री समीर कुमार मोहान्ती, मा0स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बहड़ागोड़ा प्रखण्ड के मोहनपुर से कैनी होते हुए बनाबुड़ा–एन0एच0–6 तक पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर है जिसके कारण आम नागरिकों को आवागमन में घोर कठिनाई हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उल्लिखित पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ की कुल लम्बाई–6.60 कि0मी0 है जिसकी स्थिति तीन भाग में अंकित है:– (1) प्रश्नाधीन पथ का 3.40 कि0मी0 पथांश मरम्मति कार्य योजना में प्रस्तावित है। उक्त पथ बनकाटा से दरखुटि पथ–5.65 कि0मी0 वर्ष 2008–09 में PMGSY मद से स्वीकृत कर दिनांक–31.08.2010 को पूर्ण किया गया है। मरम्मति कार्य योजना स्वीकृत उपरांत कार्य करा लिया जायेगा। (2) प्रश्नाधीन पथ का पथांश 1.20 कि0मी0 PMGSY-III अन्तर्गत प्रस्तावित पथ T04 डोमसोल से बसबाती भाया बड़ागड़िया–14.126 कि0मी0 पथ का अंश है। पथ कार्य MoRD से स्वीकृति उपरांत कार्य करा लिया जायेगा। (3) शेष पथांश (रघुनाथपुर से बनाबुड़ा तक) की अगले वित्तीय वर्ष में मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने एवं बजटीय उपबंध के आलोक में मरम्मति/निर्माण कार्य पर विचार किया जा सकेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल 03 पथ (कुल लंबाई–7.5 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 02 पथ (कुल लंबाई–4.680 कि0मी0) प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–92/2022 ग्रा0का0वि0 308 राँची/दिनांक–25-02-2022

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–91 वि0स0, दिनांक–17.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–92/2022 ग्रा0का0वि0 308 राँची/दिनांक–25-02-2022

प्रतिलिपि:– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–92/2022 ग्रा0का0वि0 308 राँची/दिनांक–25-02-2022

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), झारखण्ड, राँची/सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(36)

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स०वि०स० श्री कोचे मुण्डा द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पंचा–01 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री कोचे मुण्डा, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत तोरपा विधान सभा क्षेत्र के बानो प्रखण्ड में ग्राम–कूचडेगा से राजस्वगाँव बिरहा तक 5 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विरता पूर्व टोली होते हुए विरता भण्डार टोली, गिरमा टोली, पहान टोली तक ग्रामीणों को आने–जाने में काफी परेशानी होती है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क की शीघ्र मरम्मति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2021–22 में मा0 स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत 5.90 कि0मी0 पथ निर्माण/सुदृढ़ीकरण योजना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मा0स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न पथों के प्राक्कलन की मांग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गयी है :– 1. बानो रेलवे स्टेशन मोड़ से ग्राम सोड़ा मोड़ तक पथ निर्माण–2.6 कि0मी0। 2. ग्राम कोनसोदे बुड़कुटोली मोड़ से पंचायत कोनसोदे ग्राम कुरूचडेगा होते हुए ग्राम–जलडेगा तक सुदृढ़ीकरण कार्य–6.00 कि0मी0। अगले वित्तीय वर्ष में मा0स0वि0स0 से विषयांकित योजना की अनुशंसा एवं प्राथमिकता प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–120/2022 ग्रा0का0वि0 324 राँची/दिनांक–28–02–2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–338, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

K.T.O

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–120 / 2022 ग्रा0का0वि0 324 राँची / दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–120 / 2022 ग्रा0का0वि0 324 राँची / दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

(38)

श्री अमित कुमार यादव, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–20" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत एन0एच0–33 पथ नगवां से ईचाक, दरिया होते हुए डाढ़ा तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य जनहित में अतिआवश्यक है; 2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन व्यापक लोकहित में उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	हजारीबाग जिलान्तर्गत नगवां से ईचाक, दरिया होते हुए डाढ़ा तक पथ, ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व अधीन है। जिसमें नगवां से ईचाक तक पथ की लंबाई लगभग–6.0 कि0मी0 है तथा परासी से खैरा भाया डाढ़ा की लंबाइ–19.10 कि0मी0 है। परासी से खैरा भाया डाढ़ा (लंबाई–19.10 कि0मी0) की योजना भारत सरकार द्वारा PMGSY-III के अन्तर्गत इंटरमिडिएट लेन (चौड़ाई–5.00 मी0) के लिए स्वीकृत है तथा निविदा प्रक्रिया में है। अतएव वर्णित स्थिति में इस पथ का पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण कर अग्रतर कार्रवाई विचारनीय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–22 / 2022, 768(5) राँची / दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–328, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–22 / 2022, 768(5) राँची / दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–22 / 2022, 768(5) राँची / दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(99)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 04 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1-	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के कोनार डैम से 50–किलोमीटर दूर हजारीबाग शहरी क्षेत्र में कोनार डैम के पानी से पेयजल आपूर्ति की योजना है तथा हजारीबाग शहर में इसके अन्तर्गत जल मीनार एवं पाईपलाईन बिछाने का कार्य प्रगति पर है;	हजारीबाग शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु DPR का निर्माण एवं क्रियान्वयन नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।
2-	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बड़कागांव विधान–सभा क्षेत्र के बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड के कई हिस्सों में व्यापक खनन, जंगलों की क्षति इत्यादि के कारण जलस्तर काफी नीचे हो गया है, बोरिंग फेल हो जाती है तथा पेयजल आपूर्ति की सुविधा नहीं होने के कारण स्थानीय निवासियों को जल संकट से जूझना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि बड़कागाँव प्रखण्ड में जल स्तर औसतन 10.40 मीटर एवं केरेडारी प्रखण्ड में 11.20 मीटर है। वर्त्तमान में केरेडारी बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजना से पेयजलापूर्ति की जा रही है। साथ ही उक्त दोनों प्रखण्डों में नलकूपों एवं सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से पेयजलापूर्ति भी की जा रही है, जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्रम	प्रखण्ड	पंचायत	ग्राम	जनसंख्या	चालू नलकूपों की संख्या	चालू सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	बड़कागाँव	23	83	136839	1131	64
2.	केरेडारी	16	75	91357	843	23

❖ विभागीय मानक के अनुसार दोनों प्रखण्ड पेयजलापूर्ति से आच्छादित है।

इसके अतिरिक्त बड़कागाँव प्रखण्ड अन्तर्गत 05 अदद एवं केरेडारी प्रखण्ड अन्तर्गत 03 अदद बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएँ निर्माणाधीन है। साथ ही बड़कागाँव विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत बड़कागाँव एवं केरेडारी प्रखण्ड के अनाच्छादित क्षेत्रों को पाईप लाईन जलापूर्ति योजना से पूर्ण आच्छादन हेतु DPR निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखंड में कोनार डैम से पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	बड़कागाँव एवं केरेडारी प्रखण्ड की कोनार डैम से दूरी क्रमशः 92 किलोमीटर एवं 106 किलोमीटर है, जिस कारण Raw Water Rising Pipe Line की दूरी अत्याधिक होगी जो Feasible नहीं होगा। वर्णित प्रखण्डों में पाईप लाईन के माध्यम से जलापूर्ति की स्थिति उपर्युक्त खण्ड– 02 में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–172/2021– 1196 राँची, दिनांक :– 28/4/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 430, दिनांक– 24.02.2022 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.2022
(श्यामा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–172/2021– 1196 राँची, दिनांक :– 28/4/22

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.2022
(श्यामा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव।

(10)

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स०वि०स० श्री नलिन सोरेन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–32 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड काठीकुण्ड अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड काठीकुण्ड अन्तर्गत ग्राम–भीटरा से झीलीमीली पी०डब्लयू०डी० रोड तक पंचायत पांदन पहाड़ी के 2.5 कि०मी० पथ में पुल बना हुआ है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ में Approach पथ का निर्माण अब तक नहीं कराया गया है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त 2.5 कि०मी० Approach पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2021–22 में मा० स०वि०स० से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत 8.75 कि०मी० पथ निर्माण/सुदृढ़ीकरण योजना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मा०स०वि०स० से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न पथों के प्राक्कलन की मांग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गयी है :– 1. पी०डब्ल्यू०डी० पथ केशरगढ़ से रामबनी तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य–2.95 कि०मी० 2. पी०डब्ल्यू०डी० रोड केशरगढ़ से सिरसा तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य–2.15 कि०मी० 3. ग्राम–जीतपुर से पिरा होते हुए पी०डब्ल्यू०डी० सड़क मधुवन तक पथ निर्माण, पंचायत–पिपरा–3.2 कि०मी० अगले वित्तीय वर्ष में मा०स०वि०स० से विषयांकित योजना की अनुशंसा एवं प्राथमिकता प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–126/2022 ग्रा०का०वि०.....319.....राँची/दिनांक–28-02-2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–407, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–126/2022 ग्रा0का0वि0 319 राँची/दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–126/2022 ग्रा0का0वि0 319 राँची/दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

श्री बंधु तिर्की, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०– "पथ–06" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि– 1. क्या यह बात सही है कि NH-23 पर पलमा से गुमला तक फोरलेन निर्माण कार्य आर०के०डी० कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी को 13 माह पहले आदेश निर्गत करने के बावजूद सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है; 2. क्या यह बात सही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (एन०एच०ए०आई०) की ओर से भू–अर्जन के लिए राशि देने के बावजूद 30 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण सम्भव नहीं हो पाया है; 3. क्या यह बात सही है कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित अधिकतर रैयतों का भू–अर्जन विभाग द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान अबतक लम्बित है; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार फोरलेन निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने और प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान करने का विचार रखती है, हॉं तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय राजमार्ग–23, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की सम्पत्ति है एवं वर्तमान मे NHAI के अधीन है। पलमा से गुमला तक फोर लेनिंग कार्य हेतु दिनांक–23.11.2020 को NHAI तथा आर०के०डी० कन्सट्रक्शन प्रा०लि० के बीच रियायत एकरारनामा (Concession Agreement) हस्ताक्षरित हुआ है। जिसके प्रावधान अनुसार 80% प्रतिशत भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् कार्य प्रारंभ करने की तिथि (Appointed date) का निर्धारिण होगा। भू–अर्जन हेतु रू० 155.00 करोड एवं रू० 75.00 करोड क्रमशः भू–अर्जन कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। मुआवजा भुगतान की कार्रवाई प्रगति मे है, सम्भावना है कि यह 31.03.2022 तक पूर्ण हो जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, रॉंची।

ज्ञापांकःप०नि०वि०–11–ता०प्र०–08/2022, 766(S) रॉंची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपिः–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रॉंची के ज्ञापांक–325, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांकःप०नि०वि०–11–ता०प्र०–08/2022, 766(S) रॉंची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, रॉंची/माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांकःप०नि०वि०–11–ता०प्र०–08/2022, 766(S) रॉंची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपिः–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची।

(42)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–11 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के झरिया अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत् जामाडोबा–जितपुर मुख्य मार्ग स्थित नुनीकडीह जोरीया पर लोहा पुल के स्थान पर ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबोद द्वारा वर्ष 2017 में स्वीकृत पुल का नवनिर्माण कराया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नांकित पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में प्रारंभ कराया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि विभाग व संवेदक के शिथिलता के कारण खण्ड–1 में वर्णित स्थान पर नवनिर्मित पुल पर पहुँच पथ व गार्डवाल का निर्माण नहीं होने से राहगीरों/वाहन चालकों को विगत पाँच वर्षों से आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कार्यपालक अभियंता, ग्रा0वि0वि0प्र0, धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रश्नांकित पुल में गार्डवॉल एवं पहुँच पथ के अतिरिक्त प्राक्धान हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित पुल पर सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पहुँच पथ व गार्डवाल निर्माण करवाने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नांकित पुल पर पहुँच पथ व गार्डवाल का निर्माण एक महीने में पूर्ण करा दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:– 05 (वि0स0–12)–128/2022/ग्रा0का0वि0 – 337 राँची, दिनांक– 01–03–2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–342 वि0स0 दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/22
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 05 (वि0स0–12)–128/2022/ग्रा0का0वि0 – 337 राँची, दिनांक– 01–03–2022

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 05 (वि0स0–12)–128/2022/ग्रा0का0वि0 – 337 राँची, दिनांक– 01–03–2022

प्रतिलिपि:– सचिव कोषांग ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22
सरकार के अवर सचिव।

(43)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–29" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत मंडरो प्रखण्ड के निर्जाचौकी से बोआरीजोर मुख्य पथ दो जिला अन्तर्गत जोड़ने वाली मुख्य पथ में भगैया, मंडरो होते हुए खाड़े बगीचा तक एवं खाड़े बगीचा से श्रीपुर, बोआरीजोर होते हुए भेरण्डा तक सड़क की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, जहाँ आये दिन छोटी–बड़ी सड़क दुर्घटना होती रहती है, 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दो जिलों के अधीन क्रमशः साहेबगंज एवं गोड्डा की अति महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण/जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निर्जाचौकी से बोआरीजोर पथ, पथ निर्माण विभाग की पथ है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में उक्त पथ की आवश्यक मरम्मति हेतु रू0 25.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत् कार्य पूर्ण है। पथ की महत्ता के मद्देनजर पथ के पुनर्निर्माण की योजना विचाराधीन है। जिसके तहत् डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–31/2022, 765(S) राँची/दिनांक– 28-2-22

प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–334, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–31/2022, 765(S) राँची/दिनांक– 28-2-22

प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–31/2022, 765(S) राँची/दिनांक– 28-2-22

प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(44)

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के निम्नलिखित सड़कों का निर्माण जैसे– 1) करमा पंचायत के जोकट मंदिर से ग्राम बहेरा 3 कि0मी0 2) दैहर पंचायत के ग्राम सोहरा तेतरिया मोर से बोंगो रोड तक 1.481 कि0मी0 मेसर्स राजदेव यादव बिल्डकॉन प्रा0लि0 हजारीबाग के द्वारा करवाया गया है एवं जगदीशपुर पंचायत के जी0टी0 रोड पिपरा से चपरीखुर्द तक मे0 वरूण कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 बगोदर गिरिडीह के द्वारा करवाया गया ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इन सड़कों का निर्माण PMGSY के द्वारा किया गया तथा वर्ष 2018 के अंतिम माह में योजनाओं को पूर्ण किया गया ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों सड़के निम्न स्तर के गुणवत्ता होने के कारण दो वर्षों के अन्दर ही अत्यंत जर्जर हो गई है, जबकि PMGSY के द्वारा निर्मित किसी भी सड़क का पाँच वर्ष तक देख–रेख की जिम्मेदारी संवेदक की होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य गुणवत्ता समन्वयक एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता समन्वयक के द्वारा निर्माण कार्य संतोषप्रद पाया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त जर्जर सड़कों की मरम्मति कराने के साथ ही ऐसे भ्रष्ट संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	इन सड़कों का Defect Liablity Period मई 2023 तक है। तदनुसार इन सड़कों का रख रखाव संवेदक द्वारा कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–128 / 2022 ग्रा0का0वि0 338 राँची, दिनांक 01–03–2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–349 दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/22

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–128 / 2022 ग्रा0का0वि0 338 राँची, दिनांक 01–03–2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–128 / 2022 ग्रा0का0वि0 338 राँची, दिनांक 01–03–2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22

सरकार के उप सचिव।

(45)

श्रीमती ममता देवी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 02.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–10 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला के दामोदर नदी महत्वपूर्ण नदी है, दामोदर नदी का पानी पीने हेतु आर्मी कैम्प, छावनी परिषद, असैनिक क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में उपयोग किया जाता है;	विभाग से संबंधित नहीं है। रामगढ़ छावनी परिषद/ग्रामीण क्षेत्र नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
2	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ छावनी परिषद सहित ग्रामीण इलाकों का दूषित पानी दामोदर नदी में छोड़ा जाता है;	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि नगर परिषद रामगढ़ द्वारा सीवर प्रणाली (सीवरेज सिस्टम) प्रस्तावित है, परन्तु सीवर प्रणाली का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हो पाया है;	रामगढ़ शहरी सीवर प्रणाली National Mission for Clean Ganga (NMCG), Ministry of Jal Shakti, Govt. of India निधि से सम्पोषित है, जिसमें वर्त्तमान में केवल Interception & Diversion, STP दो अदद तथा Intermediate Pumping Stations का प्रावधान किया गया है। जिसका DPR तैयार कर NMCG की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सीवरेज प्रणाली का कार्य प्रारंभ की जाएगी।
4	क्या यह बात सही है कि नदी के गंदे पानी की पीने के वजह से रामगढ़ छावनी परिषद सहित आस पास के ग्रामीण गंभीर बीमारी एवं उन पर जान माल का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है;	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब सीवर प्रणाली (सीवरेज सिस्टम) के कार्य करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि०/वि०स० तारांकित–02/2022 730 राँची, दिनांक– 28/02/22

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं० प्र०–419 वि०स०, दि०–24.02.2022 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के अवर सचिव।

(46)

श्री निरल पुरती, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–34 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि JSLPS के अधीन कार्यरत L–5 से L–8 के कर्मियों का मानदेय इनके कार्यों के अनुरूप काफी कम है।	**अस्वीकारात्मक** JSLPS के L–7 व L–8 वर्ग के कर्मियों का वेतन पूर्व में कम था जिसे उनके कार्य के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए 01–दिसम्बर–2021 से लागू कर दिया गया है। अन्य वर्ग के कर्मियों के वेतन को उनके कार्यानुरूप बनाने सम्बंधित प्रस्ताव विचाराधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि इनका पदस्थापन गृह ज़िला में नहीं किया जाता है।	**अस्वीकारात्मक** L–7 व L–8 वर्ग के कर्मियों का चयन सम्बंधित ज़िले के अभ्यर्थियों से ही किया जाता है तथा उनका पदस्थापन उसी ज़िले में किया जाता है। अन्य वर्ग के कर्मी प्रबंधकीय कार्य को देखते है। अतः परियोजना के ज़रूरत के अनुसार उनका स्थापन गृह ज़िला के साथ–साथ अन्य ज़िलों में भी किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार के अधीन कार्यरत L–5 से L–8 के कर्मियों को गृह ज़िले में पदस्थापन करना चाहती है, हाँ तो कब तक।	**अस्वीकारात्मक** L–7 व L–8 वर्ग के कुछ कर्मी जिनका चयन पूर्व में राज्य स्तर से किया गया था। परियोजना के हितों का ध्यान में रखते हुए अधिकांश का पदस्थापन उनके गृह ज़िला या नज़दीकी ज़िले में कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–JSLPS/NRLM/HRD/ झा०वि०स०/2022/265/ 734 दिनांक–28/02/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–412, दिनांक–24.02.2022 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

(संजय कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 01 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1- क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज व पिपरा प्रखण्ड मुख्यालय वासियों तथा मुख्यालय से सटे गांवों में पाईप लाईन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है?	स्वीकारात्मक। जल जीवन मिशन अन्तर्गत हैदरनगर प्रखण्ड एवं मोहम्मदगंज प्रखण्ड के सभी ग्रामों में पेयजलापूर्ति हेतु पतरा–कबरा, भदुआ–सोक्षा एवं पंसा–रामबांध बहु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। हरिहरगंज प्रखण्ड के हरिहरगंज पूर्वी, हरिहरगंज पश्चिमी पंचायत एवं अररूआ खुर्द पंचायत के अररूआ खुर्द एवं पाठक बिगहा डेमा पंचायत के डेमा एवं अम्बा के आंशिक भाग को हरिहरगंज पाईप जलापूर्ति योजना से आच्छादित करने हेतु गृह–संयोजन चल रहा है। हरिहरगंज प्रखण्ड एवं पिपरा के गाँवों को पेयजल आपूर्ति हेतु छत्तरपुर, नौडीह बाजार, हरिहरगंज पीपरा एवं संलग्न गाँवों को एकल/बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना से आच्छादित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में उक्त प्रखण्ड मुख्यालयों में पेयजल की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र०	प्रखण्ड	ग्राम की सं०	जनसंख्या	चापाकलों की सं०	लघु ग्रा०ज० की सं०
1.	हैदरनगर	56	74031	722	25
2.	मोहम्मदगंज	43	47315	965	15
3.	हरिहरगंज	83	74203	1100	21
4.	पिपरा	83	36389	703	11

उक्त विवरणी के आधार पर सभी प्रखण्ड पेयजल से पूर्ण आच्छादित है।

2- यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिला अन्तर्गत हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज व पिपरा प्रखण्ड मुख्यालय तथा मुख्यालय से सटे गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। जल जीवन मिशन अन्तर्गत उपरोक्त सभी प्रखण्ड के ग्रामों के सभी घरों में नल से जल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष– 2024 का लक्ष्य निर्धारित है जिसे प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–170/2021– 1194 राँची, दिनांक :– 28/2/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 83, दिनांक 17.02.2022 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28-02-2022

(श्यामा नन्द झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–170/2021– 1194 राँची, दिनांक :– 28/2/22

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28-02-2022

(श्यामा नन्द झा)

सरकार के उप सचिव।

(48)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 03 का उत्तर :–

<table>
<tr><td colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</td><td>श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</td></tr>
<tr><td>1-</td><td>क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत निरसा गोविन्दपुर जलापूर्ति योजना के तहत् ग्राम–दामकड़ा बरवा, कुर्मीडीह, बड़ा पिछरी, छोटा पिछरी, कोरियाटांड, में पाईप लाईन द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है;</td><td>स्वीकारात्मक।
धनबाद जिला अन्तर्गत दामकड़ा बरवा, कुर्मीडीह, बड़ा पिछड़ी, छोटा पिछड़ी, कोरियाटांड में JnNURM अन्तर्गत जामाडोबा जलापूर्ति योजना के तहत् पाईप लाईन द्वारा पेयजलापूर्ति स्वीकृत है।</td></tr>
<tr><td>2-</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित ग्रामों में पाईप लाईन एवं जलमीनार का कार्य 07 वर्ष पूर्व पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु अभी तक पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं की गई है;</td><td>उक्त योजना को वर्ष 2020 में पूर्ण किया गया है। इन ग्रामों में तीन अदद् जलमीनारों से जलापूर्ति प्रावधानित है। पूर्व में इस योजना में गृह–संयोजन का कार्य शामिल नहीं था।
वर्तमान में JJM अन्तर्गत Retrofitting के तहत् गृह–संयोजन की स्वीकृति कर कुल 8203 FHTC का कार्य किया जा रहा है। अप्रैल– 2022 तक सभी गृह–संयोजन कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति चालू किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>3-</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित ग्राम के ग्रामीणों को पेयजल हेतु काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;</td><td>वर्त्तमान में इन ग्रामों में पेयजल की स्थिति निम्नवत् है :–<table><tr><th>प्रखण्ड</th><th>ग्राम</th><th>जनसंख्या</th><th>चालू चापानल की सं०</th></tr><tr><td rowspan="5">गोविन्दपुर</td><td>दामकाड़ा बरवा</td><td>2867</td><td>48</td></tr><tr><td>कुर्मीडीह</td><td>2242</td><td>20</td></tr><tr><td>बड़ापिछड़ी</td><td>3006</td><td>26</td></tr><tr><td>छोटा पिछड़ी</td><td>1179</td><td>12</td></tr><tr><td>कोरियाटांड</td><td>386</td><td>03</td></tr></table>वर्णित ग्राम विभागीय मानक के अनुरूप चापानलों से पूर्ण आच्छादित है।</td></tr>
<tr><td>4-</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित ग्रामों में पाईप लाईन द्वारा पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–173/2021– 1195 रॉंची, दिनांक :– 28/2/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 428, दिनांक– 24.02.2022 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28-02-2022
(श्यामा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–173/2021– 1195 रॉंची, दिनांक :– 28/2/22

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28-02-2022
(श्यामा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव।

(49)

श्री नवीन जयसवाल, माननीय सदस्य विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या न०–05 को विधान सभा में दिनांक 02.03.2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रॉची नगर निगम द्वारा कचड़ा उठाव संबंधित कम्पनी को 250 छोटे वाहन एवं 40–सीएनजी वाहन सौंपे है, बावजूद इसके रॉची निगम क्षेत्र अंतर्गत कई क्षेत्रों में कूड़ा उठाव का काम समय पर नहीं हो पा रहा है। कई वार्डों में सप्ताह में चार–पाँच दिन बाद कूड़ा उठाव वाहन आती है। अक्सर दोपहर में एवं बिना जिंगल बजाये कूड़ा उठाव वाहन आते है जिस कारण आम जनता को मजबूरण अपने चार पाँच दिनों का कूड़ा सड़क पर फेकना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 267 वाहनों से Door to Door Collection का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में 37 CNG वाहन शामिल किए गए हैं। वाहनों में Jingle बजाने के लिए Sound System जैसे उपकरण लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से नागरिकों को वाहन के आने की सूचना प्राप्त होती है। कभी–कभी उपकरणों में तकनीकी खराबियों के कारण Jingle नहीं बज पाता तब वाहनों में कार्यरत कर्मियों के द्वारा सिटी बजाकर लोगों को कचड़ा देने के लिए सूचित किया जाता है। इसके अलावा समय–समय पर निगम स्तर पर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाये जाते हैं यथा सफाई होकर रहेगी इत्यादि।
2	क्या यह बात सही है कि 2.25 लाख घरों में कूड़ा उठाव की मॉनिटरिंग हेतु आरएफआईडी चिप लगानी थी परन्तु अभी तक कम्पनी के द्वारा 1.40 लाख घरों में आरएफआईडी चिप लगाई गयी है। मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण कूड़ा उठाव की समस्या बनी हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। रॉची शहर में शत–प्रतिशत Door to Door Collection की Monitoring हेतु प्रत्येक घरों में RFID Chip लगाया जा रहा है, ताकि Computer Dash Board में यह Live देखा जा सके कि घरों से कूड़े का उठाव किया जा रहा है या नहीं। वर्तमान में कुल 1,74,612 घरों में RFID Chip का अधिष्ठापन किया जा चुका है। शेष कार्य 01 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा।
3	क्या यह बात सही है कि कम्पनी को कूड़ा उठाव हेतु 270 स्मार्ट बिन लगाना था, जिसमें से अभी तक मात्र 200 स्मार्ट बिन नहीं लग पाया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कुल 222 बिन लगाने थे, जिसमें से वर्तमान में कुल 200 बीन का अधिष्ठापन किया जा चुका है। शेष कार्य 01 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कचरा उठाव की समस्या को देखते हुए वर्तमान की व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक। रॉची नगर निगम के द्वारा निगम क्षेत्राधीन वार्डों से तीन पालियों में नियमित रूप से कचरा का उठाव किया जा रहा है। प्राथमिक एवं सेकेण्डरी कलेक्शन हेतु कम्पनी का चयन कर कार्य करवाया जा रहा है। निगम दिन प्रति दिन कार्य में प्रगतिशील तरीके से आगे बढ़ रहा है। निगम अत्याधुनिक तकनीकी एवं सुव्यवस्थित तरीके से कार्य के क्रियान्वयन हेतु अग्रेसर है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– SUDA/SBM/ज्ञा०वि०स०प्र० / 18 / 2022 / UDHD 738 राँची, दिनांक 28/02/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–418 (अनु०), दिनांक–24.02.2022 के आलोक में उत्तर सामग्री 200 प्रति में आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/02/2022

अवर सचिव।

(50)

श्री नवीन जयसवाल, माननीय सदस्य विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या न०-04 को विधान सभा में दिनांक 02.03.2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर :-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची नगर निगम के द्वारा पूरे शहर का कूड़ा-कचरा रातु प्रखण्ड के पंचायत फुटकलटोली ग्राम झीरी के काफी घनी आबादी वाले स्थान पर वर्षों से डम्प किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है कि घनी आबादी वाले स्थान पर निगम द्वारा कचरा डम्प किया जा रहा है, परन्तु यह सत्य है कि विगत 20-25 वर्षों से पूरे शहर का कूड़ा झिरी में ही डम्प किया जा रहा है। चूँकि पूर्व में Waste Processing Plant की अनुपलब्धता के कारण कचड़ा का निस्तारण नहीं हो रहा था, इसलिए शहर के कचरे को शहर से दूर कहीं न कहीं डम्प करना अनिवार्य था, परन्तु अब Waste processing के लिए कंपनी का चयन को गया है, जो जल्द कचड़े से Bio Gas का निर्माण करेंगी।
2	क्या यह बात सही है कि इस घनी आबादी वाले स्थान पर कूड़ा-कचड़ा डम्प करने से यहाँ के आसपास का वातावरण काफी दुर्गन्ध एवं दूषित सा हो गया है जिससे इसके आसपास निवास करने वाले आम जनता की स्वस्थ्य पर काफी बूरा असर पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। यह बात पूर्णतः स्वीकारात्मक नहीं है, परन्तु कचड़े का निस्तारण नहीं होने से पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, जिसे सुधार करने के लिए निगम स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सूखे एवं गीले कचड़े का पृथक्करण के लिए नागरिकों को भी प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा झिरी में निरंतर ब्लीचिंग, चूना, सैनिटाईजर इत्यादि का छिड़काव कराया जाता है, ताकि आसपास के क्षेत्रों में दुर्गन्ध का फैलाव नहीं हो सके।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राँची नगर निगम के द्वारा कूड़ा-कचड़ा डम्प करने का कार्य किसी दूर दराज न्यूनतम आबादी वाले स्थान पर करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	राँची नगर निगम के द्वारा सूखे एवं E.Waste के सम्पूर्ण निस्तारण के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसमें Primary Collection, Secondary Collection एवं Waste Processing जैसे कार्य शामिल हैं। Primary Collection के अंतर्गत सभी घरों से कूड़े का उठाव कराकर निकटतम Mini Transfer Station में Dump किया जाता है। तत्पश्चात् Secondary Collection के अंतर्गत कूड़े को Compactor के माध्यम से झिरी डम्पिंग यार्ड में Transfer किया जाता है। Primary एवं Secondary Collection का कार्य निगम स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है एवं Waste Processing की दिशा में निगम के द्वारा GAIL India Ltd. के साथ एकरारनामा किया गया है, जिसके अंतर्गत GAIL India Ltd. के द्वारा प्रतिदिन 05 (Five) Ton Compress Bio Gas Plant का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा Legacy Waste के निस्तारण के लिए भी राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- SUDA/SBM/ज्ञा०वि०स०प्र०/16/2022/UDHD 734 राँची, दिनांक 28/02/22

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०-417 (अनु०), दिनांक-24.02.2022 के आलोक में उत्तर सामग्री 200 प्रति में आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/02/2022
अवर सचिव।

51 81

दिनांक–02.03.2022 के लिए डा0 इरफान अंसारी, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–04

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड क्षेत्रफल एवं आबादी के दृष्टिकोण से एक बड़ा प्रखण्ड है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि मुख्यालय से दूर के गावों में रहने वाले लोगों को प्रखण्ड मुख्यालय आने में अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिस कारण आर्थिक क्षति एवं समय की बर्बादी होती है तथा लोग कतिपय सरकारी लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक–79 दिनांक–26.02.2022 के अनुसार नारायणपुर प्रखण्ड मुख्यालय से प्रखण्ड के सुदूरवर्ती गाँव की अधिकतम दूरी लगभग 16 कि0मी0 है एवं सुदूरवर्ती गाँव पथ से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रशासनिक आधार पर नारायणपुर प्रखण्ड को विभाजित कर चौनपुर चंपापुर को नया प्रखण्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन चौनपुर चंपापुर प्रखण्ड की दूरी नारायणपुर प्रखण्ड मुख्यालय से मात्र 12 कि0मी0 है, जो विभागीय संकल्प सं0–5495 दिनांक–16.10.2015 द्वारा निर्धारित प्रखण्ड सृजन की निहित मापदण्ड एवं प्रक्रिया के कंडिका–VI के अनुसार प्रखण्ड मुख्यालय से सामान्यतः 25 कि0मी0 से अधिक दूरी की अर्हता को पूर्ण नहीं करता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–09/2022/ग्रा0वि0 715 राँची, दिनांक– 28/02/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–414 दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–09/2022/ग्रा0वि0 715 राँची, दिनांक– 28/02/2022

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–09/2022/ग्रा0वि0 715 राँची, दिनांक– 28/02/2022

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(52)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य झारखण्ड विधानसभा द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–02 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत नगर पंचायत हरिहरगंज में वर्ष–2020–21 में 842 लाभुकों को आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित 842 आवास लाभुकों के चयन में कर्मचारी व अधिकारी के द्वारा घोर अनियमितता बरती गई है, फलस्वरूप पक्के मकान और दो मंजिला मकान वाले का अच्छी संख्या में चयन कर लिया गया है, जिसके कारण आवास के वास्तविक अहर्त्ता रखनेवाले लाभुकों का चयन नहीं हो सका, फलस्वरूप आमलोगों में काफी रोष व्याप्त है;	हरिहरगंज नगर पंचायत से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 अंतर्गत 842 स्वीकृत आवासों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की मार्गदर्शिका के अनुसार किया गया है। कार्यालय को प्राप्त अनियमितता की सूचना के आलोक में पत्रांक–27, दिनांक–14.02.2022 के तहत् समिति बनाते हुए जाँच की जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष– 2021–22 के आवास लाभुकों के चयन में भी संबंधित कर्मचारी व अधिकारी के द्वारा पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है;	हरिहरगंज नगर पंचायत से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवास हेतु लाभुकों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत नगर पंचायत, हरिहरगंज में वर्ष– 2020–21 में 842 आवास लाभुकों के चयन में बरती गई अनियमितता के दोषी कर्मचारी व अधिकारी के विरूद्ध तथा वर्ष– 2021–22 में आवास लाभुकों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरतने हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	हरिहरगंज नगर पंचायत से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत 842 आवासों की सूची प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अहर्त्ता रखनेवालों का ही स्वीकृत हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के मार्गदर्शिका के अनुसार लाभुकों का चयन निकाय एवं जिला पदाधिकारियों के सहयोग से किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–03 / वि०स० / तारांकित प्रश्न / 02 / 2022 / न०वि०– 732 दि०– 28/02/22

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के उनके पत्रांक–85, दिनांक–17.02.2022 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के अवर सचिव।

Budget Satra-3

(53)

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स०वि०स० श्री सुदिव्य कुमार द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–14 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पीरटाँड़ प्रखण्ड गिरिडीह जिला के सुदूरवर्ती इलाका है लेकिन जिला मुख्यालय जो जोड़ने वाली सड़कें अत्यंत जर्जर है जिससे ग्रामीणों को जिला मुख्यालय आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पीरटाँड़ प्रखंड की सभी जर्जर सड़कें की मरम्मति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2021–22 में पथों के मरम्मति हेतु 80 करोड़ रू0 बजटीय उपबंध है। उक्त सीमित बजटीय उपबंध के आलोक में प्रत्येक मा0स0वि0स0 से प्राप्त प्राथमिकता आधारित अनुशंसा के आलोक में 8–10 कि0मी0 पथ मरम्मति कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। मा0स0वि0स0 से पथ मरम्मति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–122/2022 ग्रा0का0वि0 322 राँची/दिनांक–28-02-2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–346, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–122/2022 ग्रा0का0वि0 322 राँची/दिनांक–28-02-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–122/2022 ग्रा0का0वि0 322 राँची/दिनांक–28-02-2022

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

(54)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

श्री कोचे मुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या परि–01 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री कोचे मुण्डा, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत कर्रा प्रखण्ड में सरकारी मोटर वाहन ड्राईविंग केन्द्र नहीं है;	–	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सरकारी मोटर ड्राईविंग केन्द्र खोलने से वहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा;	–	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार कर्रा प्रखण्ड में सरकारी मोटर वाहन ड्राईविंग केन्द्र खोलकर युवकों को प्रशिक्षण देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	–	राज्य सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों में सरकारी मोटर वाहन ड्राईविंग केन्द्र प्रारम्भ करने संबंधी नीतिगत निर्णय लिया गया है। तदालोक में विभागीय पत्रांक–125, दिनांक–08.03.2021 द्वारा प्रस्तावित RDTC, खूँटी के DPR हेतु सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। खूँटी जिलान्तर्गत उक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोलने से कर्रा प्रखण्ड के शिक्षित बेरोजगार युवकों को इसका लाभ प्राप्त होगा।

28/02/22

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–37/2022 186 /राँची,दिनांक 28/02/2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–354, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/22

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–37/2022 186 /राँची,दिनांक 28/02/2022

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/22

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

(55)

श्री केदार हजरा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–30" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीनस्थ है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के नावाडीह चक्की सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से लताकी, दमगी, कुरहोविन्दो होते हुए छोटकीखरगडीहा तक के पथ को अभी तक पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है,	
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में निहित पत्र जो अभी ग्रामीण कार्य विभाग के पास है, लेकिन पथ की लंबाई करीब 25 कि0मी0 रहने के कारण ग्रामीण कार्य मामले विभाग द्वारा ठीक ढंग से रख–रखाव नहीं होने से पथ की स्थिति काफी जर्जर हो गई है,	
3. क्या यह बात सही है कि पथ स्थिति जर्जर होने के कारण स्थानीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है,	
4. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में निहित पथ ही जो पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित दो महत्वपूर्ण पथ पचम्बा–सुरौन पथ तथा बेंगाबाद–सरौन पथ को जोड़ने वाली पथ है,	
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में निहित पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से अधिग्रहण कर पथ निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–32/2022, 780(S) राँची/दिनांक– 28-2-22

प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–333, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–32/2022, 780(S) राँची/दिनांक– 28-2-22

प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–32/2022, 780(S) राँची/दिनांक– 28-2-22

प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री जिगा सुसारन होरो, मा0 स0वि0स0 (56) द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–27" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत कार्य योजना पथ निर्माण सिसई बरिया (28 कि0मी0) का निर्माण कार्य अधूरा है तथा जो भी निर्माण हुआ है वह भी अत्यन्त निम्न स्तर का है, 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पथ का निर्माण संबंधी कार्य योजना से संबंधित निविदा का निस्तारण वर्ष 2012 में ही किया गया था जिस पर संवेदक के साथ–साथ विभागीय पदाधिकारियों की संयुक्त लापरवाही दिखती है, 3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पथ जनहित में अति महत्वर्ण है जिसका नहीं बनने से हजारों जन–जीवन पर असर पड़ा है, 4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उल्लिखित पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गुमला जिलान्तर्गत सिसई–बरिया पथ (लंबाई–37.775 कि0मी0) का उन्नयन कार्य, भारत सरकार अंतर्गत LWE (Left Wing Extrimism) योजना अंतर्गत स्वीकृत है। जिसके लिए दिनांक–24.04.2016 को मेसर्स सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि0 के साथ एकरारनामा किया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार उक्त एकरारनामा को विखण्डित किया गया है। अवशेष कार्य के लिए दिनांक–24.02.2017 को संवेदक मेसर्स NP-ABPL (JV) के साथ एकरारनामा किया गया है, उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक–03.02.2019 की तिथि निर्धारित है। जबकि अबतक मात्र 80% कार्य किया गया है। संवेदक पर कार्रवाई की गई है, उन्हें डिबार किया जा चुका है तथा एकरारनामा विखण्डन हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तावित किया गया है। उनके आदेश प्राप्त होने पर एकरारनामा विखण्डन के साथ नये संवेदक को बहालकर अवशेष कार्य सम्पन्न कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–29/2022, 777(5) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–402, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–29/2022, 777(5) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–29/2022, 777(5) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(57)

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स०वि०स० श्री निरल पुरती द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–12 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री निरल पुरती, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर प्रखण्ड अन्तर्गत खेड़ियाटांगर से कौवासाई घाँक भाया तेन्तड़ा सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क जर्जर होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं दुर्घटना संभावित होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराना चहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक–266 (अनु0), दिनांक–24.02.22 द्वारा प्रश्नाधीन योजना के प्राक्कलन की मांग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–114 / 2022 ग्रा0का0वि0 325 राँची / दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–422, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–114 / 2022 ग्रा0का0वि0 325 राँची / दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–114 / 2022 ग्रा0का0वि0 325 राँची / दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

(58)

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–पथ–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पांकी से लोहरसी, लावालौंग (चतरा) होते हुए बगरा तक ग्रामीण विकास विभाग की सड़क है, जो अत्यंत जर्जर स्थिति में है;	प्रश्नाधीन पथ की कुल लंबाई लगभग 50 कि0मी0 है, जिसमें 1.86 कि0मी0 पथ निर्माण विभाग तथा उसके आगे 3 कि0मी0 सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित पथ है, शेष पथांश ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन पड़ता है।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सड़क पलामू, चतरा और हजारीबाग जिले को जोड़ने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क है, जिसकी लंबाई 50 कि0मी0 है;	स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार पलामू, चतरा और हजारीबाग जिले को जोड़नेवाली उक्त महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कराकर उक्त सड़क से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ की लंबाई लगभग 50 कि0मी0 होने के कारण पथ निर्माण विभाग से निर्माण कराने पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–135 / 2022 ग्रा0का0वि0 347 राँची, दिनांक 01–03–2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, ज्ञा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–336 दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/22
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–135 / 2022 ग्रा0का0वि0 347 राँची, दिनांक 01–03–2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–135 / 2022 ग्रा0का0वि0 347 राँची, दिनांक 01–03–2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रा0का0वि0, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22
सरकार के उप सचिव।

(59)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० पथ–03 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड और उड़ीसा को जोड़ने वाला केरूकोचा बारिपदा सड़क के बीच गुड़ाबांधा प्रखण्ड अंतर्गत बालिजुड़ी ग्राम में स्वर्णरेखा नदी पर पुल निर्माण प्रस्तावित है ;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पुल का निर्माण नहीं होने से क्षेत्र में आम लोगों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रस्तावित पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स०वि०स० से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बहरगोड़ा प्रखण्ड के गोपालपुर पंचायत के नेकड़ागुंजी गांव में काठुआनाला पर पुल निर्माण की तकनीकी स्वीकृति दी जा चुकी है एवं गुड़ाबांधा प्रखण्ड अन्तर्गत कढ़ीयानाला पर पुल निर्माण हेतु डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है। माननीय स०वि०स० से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेत्तर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–17/2022/ग्रा०का०वि० — 326 रॉंची, दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–80 वि०स० दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/22

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–17/2022/ग्रा०का०वि० — 326 रॉंची, दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–17/2022/ग्रा०का०वि० — 326 रॉंची, दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि:– सचिव कोषांग ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रॉंची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के अवर सचिव।

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा0 स0वि0स0 (60) द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–19" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत बरवड्डा में राष्ट्रीय उच्च पथ (NH-2) का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है;	यह पथ, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की सम्पति है एवं वर्त्तमान में NHAI के अधीन है। NHAI से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार :–
2. क्या यह बात सही है कि बरवड्डा में पथ का चौड़ीकरण होने से सेम्बायोसिस स्कूल के समीप उत्तर की ओर ग्रामीणों के घर पथ से सट गये है;	6–लेन के MoRTH के मापदंड के अनुसार मुख्य सड़क एवं सर्विस रोड का निर्माण किया गया है। सेम्बायोसिस स्कूल के समीप उत्तर की ओर ग्रामीणों के घर सर्विस रोड के किनारे स्थित है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 में वर्णित स्थान में पथ के चौड़ीकरण उपरांत पथ के दोनों तरफ नाली नहीं होने के कारण बरसात का पानी ग्रामीणों के घर में प्रवेश कर जाता है;	खण्ड–2 में वर्णित स्थान में पथ के 6–लेनिंग उपरांत सड़क के Main Carriageway and Service Road के बीच सड़क के पानी के निकासी के लिए नाली का निर्माण किया गया है। ग्रामीणों का घर सड़क से ऊँचा होने के कारण बरसात का पानी घर में प्रवेश नहीं करता है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित स्थान पर पथ के दोनों ओर नाली निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	खण्ड–2 में वर्णित स्थान में पथ के 6–लेनिंग उपरांत पथ के दोनों तरफ नाली का निर्माण सड़क के पानी के निकासी के लिए किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–21/2022, 774(S) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल, अपर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–331, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–21/2022, 774(S) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–21/2022, 774(S) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

61

दिनांक–02.03.2022 के लिए श्रीमती ममता देवी, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–म0–03

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ सदर प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय भवन की स्थिति काफी जर्जर अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ सदर प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय में काफी जल–जमाव बरसात की दिनों में हो जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ सदर प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय भवन की स्थिति काफी जर्जर होने के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है;	वास्तव में जर्जर स्थिति में है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोक हित में रामगढ़ सदर प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय का निर्माण अविलम्ब कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	रामगढ़ सदर प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय भवन निर्माण हेतु सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन प्राप्त होने एवं पर्याप्त बजटीय उपबंध की उपलब्धता पर कार्यालय भवन निर्माण हेतु अग्रसर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–10 / 2022 / ग्रा0वि0 716 राँची, दिनांक– 28/02/2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–340 दिनांक–24.02.22 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–10 / 2022 / ग्रा0वि0 716 राँची, दिनांक– 28/02/2022

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–10 / 2022 / ग्रा0वि0 716 राँची, दिनांक– 28/02/2022

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के संयुक्त सचिव।

62

दिनांक–02.03.2022 के लिए श्री रामचन्द्र चन्दवंशी, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–18

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के मझिआंव प्रखण्ड तथा पलामू जिला के पांडू एवं उटारीरोड प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का पद रिक्त है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना सं0–3747–सह–पठित ज्ञा0–3764 दिनांक–28.10.2021 द्वारा श्रीमती अनुराधा कुमारी को प्र0वि0पदा0, पांडू, पलामू के पद पर पदस्थापित किया गया है एवं विभागीय पत्रांक–4301 दि0–11.12.2021 द्वारा उन्हें विरमित करने हेतु उपायुक्त, लोहरदगा को निदेश दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि पदाधिकारियों के अभाव में सरकारी एवं जनता का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। सुश्री दीपमाला, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरडीहा को प्र0वि0पदा0, मझिआंव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रश्नाधीन सभी प्रखण्डों में जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार तीनों प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का पदस्थापन करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के पद पर पदस्थापन हेतु यथेष्ट संख्या में मूल कोटि के पदाधिकारियों की सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार से प्राप्त होने के पश्चात् नियमित पदस्थापन किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–08 / 2022 / ग्रा0वि0 717 राँची, दिनांक– 28/02/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, ज्ञा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–406 दिनांक–24.02.22 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/2022
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–08 / 2022 / ग्रा0वि0 717 राँची, दिनांक– 28/02/2022

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग / प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/2022
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–08 / 2022 / ग्रा0वि0 717 राँची, दिनांक– 28/02/2022

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/2022
सरकार के संयुक्त सचिव।

63

श्री सुखराम उराँव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–17 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री सुखराम उराँव, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर विधान–सभा अन्तर्गत चैनपुर शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र के कियापता घाट अवस्थित संजय नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्थल पर पुल निर्माण होने से चक्रधरपुर तथा खरसाँवा विधान–सभा क्षेत्र में आवागमन की सुविधा होगी, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिल सकेगी ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चक्रधरपुर विधान–सभा अन्तर्गत चैनपुर शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र के कियापता घाट अवस्थित संजय नदी पर वित्तीय वर्ष में नये पुल निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स०वि०स० से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में चाईबासा जिला के चक्रधरपुर पंचायत के चक्रधरपुर प्रखण्ड के पुराना बस्ती संजय नदी में पुल निर्माण एवं चाईबासा जिला के चक्रधरपुर प्रखंड में केरा पंचायत अंतर्गत जरकी से परोम जरकी मध्य विद्यालय के बीच ब्रामणी नदी में पुल का निर्माण हेतु डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है। माननीय स०वि०स० से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–15/2022/ग्रा०का०वि० — 329 राँची, दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–410 वि०स० दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/22

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–15/2022/ग्रा०का०वि० — 329 राँची, दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–15/2022/ग्रा०का०वि० — 329 राँची, दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि:– सचिव कोषांग ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के अवर सचिव।

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स0वि0स0 श्री रामदास सोरेन द्वारा सदन में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री रामदास सोरेन, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला विधान सभा क्षेत्र के मुसाबनी प्रखण्ड स्थित (क) पारूलिया पंचायत के रतनुकोचा से काकदोहा भाया सूर्याबेड़ा तक (लगभग 6.4 कि0मी0) एवं (ख) मुसाबनी डुमरिया मुख्य पथ भूर्लुगुढ़ चौक, कुईलीसुता से काकदोहा तक (लगभग 6.8कि0मी0) पथ का निर्माण हेतु प्राक्कलन संबंधित प्रमण्डल, जमशेदपुर के पत्रांक–392, एवं 393, दिनांक–07.07.2021 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सरकार को भेजी गई परन्तु उक्त मामला अबतक लंबित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पथ काफी जर्जर है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित पथ के निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नाधीन पथ (क) पारूलिया पंचायत के रतनुकोचा से काकदोहा भाया सूर्याबेड़ा तक (लं0–6.4 कि0मी0) का पथांश रतनुकोचा से काकदोहा (लं0–3.0 कि0मी0) की स्थिति संतोषजनक है तथा काकदोहा से सूर्याबेड़ा कच्ची सड़क है। एवं (ख) डुमरिया मुख्य पथ भूर्लुगुढ़ चौक कुईलीसुता से काकदोहा की लम्बाई–6.8 कि0मी0 है। उक्त प्रश्नाधीन पथ (क) एवं (ख) PMGSY-III अन्तर्गत To1 डुमरिया मोड़ कुईलीसुता से सूर्याबेड़ा भाया काकदोहा कालाझारी (लंबाई–13.50 कि0मी0) के नाम से प्रस्तावित है। MoRD से स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–113/2022 ग्रा0का0वि0 340 राँची/दिनांक–01–03–2022

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–348 वि0स0, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–113/2022 ग्रा0का0वि0 340 राँची/दिनांक–01–03–2022

प्रतिलिपि:– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–113/2022 ग्रा0का0वि0 340 राँची/दिनांक–01–03–2022

प्रतिलिपि:– सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

65

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–28 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधानसभा के बुंडू प्रखंड स्थित रेलाडीह पंचायत के भोरगाडीह में सायसा नदी पर बुंडू, राहे एवं सिल्ली को जोड़ने वाली उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करीबन पाँच वर्ष पूर्व की गई है; 2. क्या यह बात सही है कि कनेक्टिंग रोड नहीं होने के कारण उक्त पुल का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या विभाग कनेक्टिंग रोड बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत् पुल, पथ निर्माण विभाग की पथ पन्ना–राहे–बुण्डू पथ (MDR-27) पर अवस्थित है। पथ प्रमंडल, राँची (ग्रामीण), पथ निर्माण विभाग के माध्यम से Cheque No. 115989 Dt. 02.07.2021 द्वारा जिला भू–अर्जन कार्यालय, राँची को कुल राशि –28,23,745.00 रूपये हस्तगत करा दी गयी है। इसमें धारा–21 हो चुकी है। भू–अर्जन कार्य पूर्ण होने पर पहुँच पथ निर्माण किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक–प0नि0वि0–11–ता0प्र0–35/2022, 782(5) राँची/दिनांक–28/02/22

प्रतिलिपि–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–345 दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–प0नि0वि0–11–ता0प्र0–35/2022, 782(5) राँची/दिनांक–28/02/22

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–35/2022, 782(5) राँची/दिनांक–28/02/22

प्रतिलिपि–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(66)

श्री राजेश कच्छप, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–37" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि खिजरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनगड़ा प्रखण्ड के हाहे से राहे पथ का निर्माण वर्ष 2009 में 1266.85 लाख की लागत से बनाया गया है; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पथ की निर्माण हेतु स्वीकृति कार्य योजना के विपरीत गुंगा नाला के दोनो ओर 1–1 कि0मी0 रास्ता का निर्माण ही नहीं किया गया है; 3. क्या यह बात सही है कि गुंगा नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण नही होने के कारण ग्रामीणो को वैकल्पिक पथ का सहारा लेना पड रहा है, जो लंबी व दुर्गम है; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–02 एवं 03 में वर्णित विषय के आलोक में पथ एवं पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है , हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	पथ निर्माण विभाग की पथ, अनगड़ा–राहे–हाहे (MDR-021) में गूंगा नाला है। जिसके ऊपर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु DPR तैयार किया जा रहा है। उक्त पुल के निर्माण हेतु अग्रिम कार्रवाई के तहत भू–अर्जन हेतु रू0 1.55 करोड की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा भू–अर्जन प्रस्ताव भू–अर्जन कार्यालय, राँची को प्रेषित किया जा चुका है। आवश्यक भू–अर्जन के पश्चात् परियोजना की तकनीकी स्वीकृति एवं निधि की उपलब्धता अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–34 / 2022, 778(S) राँची / दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–400, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–34 / 2022, 778(S) राँची / दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–34 / 2022, 778(S) राँची / दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(67)

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स०वि०स० श्री किशुन कुमार दास द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–10 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया प्रखण्ड के डाडी पंचायत में डाडी स्कूल से तेतरमोड़ तक तथा चौथा से पथलकुदवा तक के पथों की स्थिति अत्यंत ही जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का मरम्मत कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ के प्रथम भाग दाड़ी स्कूल से तेतरमोड़ तक पथ–3.70 कि०मी० के मजबूतीकरण के स्वीकृति का प्रस्ताव पी०एम०जी०एस०वाई०–3 अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्य कराया जा सकेगा। मा०स०वि०स० से प्रश्नाधीन पथ के द्वितीय भाग चौथा से पत्थलकुदवा तक पथ–7.0 कि०मी०, पथ मरम्मति की अनुशंसा प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–124/2022 ग्रा०का०वि० 344 राँची/दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–343, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–124/2022 ग्रा०का०वि० 344 राँची/दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–124/2022 ग्रा०का०वि० 344 राँची/दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22

सरकार के उप सचिव।

(69)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–01" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के चैनपुर प्रखण्ड के पंचायत–शाहपुर, बन्दुआ, बुढ़ीवीर से होते गढ़वा जिला के सीमा क्षेत्र के ग्राम–तिलदाग (2)–गाँधीपुर से पूर्वडीहा, नरसिंहपुर पथरा, बंभडी होते हुए गाँधीपुर (रिंग रोड) PWD पथ तक एवं (3)– चैनपुर से अम्बा, आदर होते हुटार तक पथ का निर्माण कराया गया है ; 2. क्या यह बात सही है कि पथों के निर्माण हो जाने के बावजूद उपर्युक्त गाँवों से गुजरने वाले पथों में ग्रामीणों से लिये गये जमीन का मुआवजा अब तक भुगतान नहीं किया जा सका है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गरीब, किसान, मजदूरों के अधिगृहित जमीन का मुआवजा का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	यह प्रश्न, पथ निर्माण विभाग की तीन पथ यथा (1) शाहपुर–गढ़वा भाया बुढ़ीवीर (लं०–27.80 कि०मी०) (2) गाँधीपुर–नरसिंहपुर–पथरा पथ (लं०–30.50 कि०मी०) तथा (3) चैनपुर–हुटार पथ (लं०–32.025 कि०मी०) के भू–अर्जन मुआवजा से संबंधित है। स्वीकृत परियोजना द्वारा क्रमांक–1 (शाहपुर–गढ़वा भाया बुड़ीवीर) पथ के लिए भू–अर्जन कार्यालय, डाल्टेनगंज से अधियाचित राशि ₹ 946.105 लाख का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। जबकि क्रमांक–2 की स्वीकृत योजना में भू–अर्जन मद सम्मिलित नहीं है तथा क्रमांक–3 में प्रावधान से अधीक की अधियाचना, भू–अर्जन कार्यालय से प्राप्त है। जिसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति के पुनरीक्षण की कार्रवाई समीक्षाधीन है। जिसके फलाफल के आधार पर यथोचित कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–01 / 2022 775 (S) राँची / दिनांक : 28-2-22

प्रतिलिपि:– श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–78, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–01 / 2022 775 (S) राँची / दिनांक : 28-2-22

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–01 / 2022 775 (S) राँची / दिनांक : 28-2-22

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(67)

श्री उमा शंकर अकेला, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–12 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री उमा शंकर अकेला, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत कोल्हुआकला पंचायत के करगईयो ग्राम के चितहवा घाट के बराकर नदी पर पुल का निर्माण नहीं होने के कारण कोल्हुआकला पंचायत एवं आसपास के अनेकों गाँव के लोगों को कोडरमा आने–जाने में काफी लंबी दूरी तय कर जाना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बराकर नदी के चितहवा घाट पर पुल नहीं होने के कारण हजारीबाग और कोडरमा जिले के लोगों को लंबी दूरी का सामना करना पड़ता है, जबकि पुल बन जाने से 50 कि0मी0 की दूरी कम हो जायेगी एवं आस–पास रोजगार का सृजन होगा ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कोल्हुआकला पंचायत के करबईयों ग्राम के चितहवा घाट के बराकर नदी पर पुल निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रश्नांकित पुल निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–13 / 2022 / ग्रा0का0वि0 – 328 राँची, दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–409 वि0स0 दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/22

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–13 / 2022 / ग्रा0का0वि0 – 328 राँची, दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–13 / 2022 / ग्रा0का0वि0 – 328 राँची, दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि:– सचिव कोषांग ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के अवर सचिव।

(70)

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स०वि०स० श्री राजेश कच्छप द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–08 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के नामकुम प्रखण्ड अन्तर्गत एन0एच0–33 सिदरील टांगरटोली से नामकुम तुपुदाना मुख्य मार्ग तक भाया चटकपुर का निर्माण वर्ष 2007–2008 में कराया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि 15 वर्ष बित जाने के बाद उक्त सड़क अत्यन्त ही जर्जरावस्था में आ गया है, सड़क में बड़े–बड़े गढ़े हो गए हैं जिससे आये दिन जान–माल का नुकसान हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस सड़क का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ PMGSY के Post 5 Year मरम्मति कार्य योजना में पलाण्डु से चटकपुर के नाम से स्वीकृत है, जिसकी निविदा आमंत्रित की गयी है। निविदा निष्पादन उपरांत कार्य करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–121 / 2022 ग्रा0का0वि0 321 राँची / दिनांक– 28–02–2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–426, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–121 / 2022 ग्रा0का0वि0 321 राँची / दिनांक– 28–02–2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय वित्तीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–121 / 2022 ग्रा0का0वि0 321 राँची / दिनांक– 28–02–2022

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

71

श्री भानु प्रताप शाही, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–13" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत (जिला–गढ़वा) नगर ऊँटारी भवनाथपुर मुख्य मार्ग में आर0ओ0बी0 (रोड ओभर ब्रिज) नहीं होने के कारण पूरे अनुमण्डल एवं आस–पास के जिले एवं राज्यों के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है; 2. क्या यह बात सही है कि आर0ओ0बी0 (रोड ओभर ब्रिज) निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि का पचास प्रतिशत राज्यांश के रूप में स्वीकृति का प्रावधान है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर ऊँटारी मुख्य मार्ग पर आर0ओ0बी0 (रोड ओभर ब्रिज) का निर्माण हेतु राज्यांश की राशि की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत, लेवल क्रॉसिंग 36/SPL/T हेतु LHS (Limited Height Subway i.e Road under pass) 5/4.66 की स्वीकृति रेलवे द्वारा प्रदान की गई है। इस कार्य हेतु दिनांक–20.02.2022 को रेलवे द्वारा निविदा आमंत्रित कर ली गई है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–15 / 2022, 773(S) राँची / दिनांक– 28-2-22

प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को ज्ञापांक–335, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–15 / 2022, 773(S) राँची / दिनांक– 28-2-22

प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–15 / 2022, 773(S) राँची / दिनांक– 28-2-22

प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

72

श्री भूषण बड़ा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 02.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ग्राम – 38 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री भूषण बड़ा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा डोभा निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, आम बागवानी, खेतों का मेड़बन्दी, खेतों की नमी हेतु TCB योजना, मेटल गुरम पथ निर्माण, नाला सफाई, दीदी बाड़ी योजनाओं को मनरेगा में सम्मिलित कर इन योजनाओं का लाभ आमजनों को दिये जाने का कार्य किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल 38 – लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है परन्तु 25–लाख हेक्टेयर भूमि में खेती हो पाती है, शेष 12 हेक्टेयर भूमि में गरीबी के कारण किसान, कृषि कार्य में लगे संसाधनों एवं मजदूरों का भुगतान नहीं कर पाते हैं, इसलिए उक्त शेष भूमि परती रह जाता है;	अस्वीकारात्मक। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणी के क्रम में अंकित करना है कि राज्य में 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के विरूद्ध वर्तमान में लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। शेष भूमि परती रहने की मुख्य वजह जमीन का असमतल रहना, मिट्टी की जल संरक्षण प्रवृति खराब रहना एवं इन सबों के फलस्वरूप कृषकों के लिए लाभकारी उपज प्राप्त नहीं होना है। इसके कारण कृषक संबंधित भूमि में कृषि कार्य करने में रूचि नहीं लेते हैं।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड (ii) में वर्णित शेष 12–लाख हेक्टेयर परती भूमि की जोताई गेहूँ/धान की रोपाई/बुनाई/कटाई आदि कार्यों को यदि सरकार मनरेगा में सम्मिलित कर मनरेगा मजदूरों से कराती है तो निश्चित रूप से राज्य के गरीब किसान उक्त परती भूमि में खेती कर पाएंगे, और इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी;	मनरेगा भारत सरकार की योजना है जिसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मनरेगा के लिए अनुमान्य कार्यों की सूची के अनुरूप किया जाता है, जिसमें परती भूमि की जोताई, धान/गेहूँ की रोपाई/बुनाई/कटाई आदि अनुमान्य कार्य की सूची में सम्मिलित नहीं है।

28/2/22

4. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (i) में वर्णित मनरेगा योजना के तर्ज पर खेती की जोताई, धान/गेहूँ की रोपाई, बुनाई/कटाई आदि कार्यों को मनरेगा योजना में सम्मिलित करने एवं उक्त कृषि कार्य को मनरेगा मजदूरों से कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–225/वि0 स0/2022/ग्रा0 वि0 – (N) 250 राँची, दिनांक 28-2-22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 413 दिनांक 24.02.2022 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 28/2/22
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–225/वि0 स0/2022/ग्रा0 वि0 – (M) 250 राँची, दिनांक 28-2-22

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 28/2/22
सरकार के उप सचिव।

(73)

श्री मंगल कालिन्दी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–24" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर अन्तर्गत भूईयाँसिनान भुला–जैरका सुसनी (बड़ा बाजाख बन्दोवन पथ) जिसकी कुल लम्बाई–22.445 कि0मी0 है, जो काफी जर्जर है; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाना था, परन्तु उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है; 3. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ पश्चिम बंगाल एवं राज्य के अन्य जिलों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण पथ है तथा सम्पर्क पथ के अभाव में आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का नव–निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत् पथ, भूईयाँ–सिनान–जैरका–भूला–सुसनी पथ (लंबाई–19.051 कि0मी0) पथ निर्माण विभाग अधीनस्थ है। ग्रामीण कार्य विभाग से उक्त पथ के हस्तानान्तरण संबंधी आदेश के साथ पथ के निर्माण हेतु वर्ष 2011–12 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसके लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा निविदा भी निकाली गई परन्तु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रगतिशील कार्य के मद्देनजर आपत्ति की स्थिति में आमंत्रित निविदा निरस्त की गई थी। वास्तविक रूप से पथ का हस्तानान्तरण, वर्ष 2014–15 में प्राप्त हुआ है। लागत वृद्धि तथा स्थलीय अवस्था के मद्देनजर योजना पर पुनः स्वीकृति की आवश्यकता होगी। निधि की उपलब्धता अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–26/2022, 772(S) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–329, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–26/2022, 772(S) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय नेता प्रतिपक्ष के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–26/2022, 772(S) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(74)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–नं०–01 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2010 से झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद में सेवाकाल के दौरान विभिन्न पद पर कार्यरत मृत हुए झमाडा कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का मामला लंबित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद में अनुकम्पा पर नियुक्ति लंबित होने के कारण मृत हुए लगभग 56 झमाडा कर्मियों के आश्रितों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गयी है;	झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा मृत सरकारी सेवक के आश्रित को देय पावनाओं का भुगतान राशि की उपलब्धता के आधार पर किस्तों में किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद में अनुकम्पा के आधार पर लंबित नियुक्ति के मामलों का निष्पादन का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद अंतर्गत कर्मियों के नियोजन एवं अनुकम्पा नियुक्ति हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार हैं। प्राधिकार की वित्तीय स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण अनुकम्पा पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। झामाडा की वित्तीय स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने हेतु विभाग के द्वारा झामाडा को निर्देश दिया गया है।

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–01 / वि०मं०प्र०(ता०)–02 / 2022 / न०वि०आ० 690 रॉची, दिनांक–25/02/22

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं० प्र०–86 वि०स०, दि०–17.02.2022 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारर्वाई हेतु प्रेषित।

25/02/22

सरकार के उप सचिव।

(75)

श्री जिगा सुसारन होरो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जिगा सुसारन होरो, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत बसिया प्रखण्डाधीन ग्राम–फरसामा दिनांक–14.02.2019 में पुलवामा हमले में शहीद विजय सोरेंग का जन्मस्थली है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित ग्राम तक (कामपरी से फरसामा) बना PMGSY सड़क अत्यंत जर्जरवस्था में है, जिसके कारण उद्धृत ग्रामों के अलावा आसपास के कई ग्रामों के लोगों को आवागमन सहित कई समस्याओं से जुझना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 एवं 02 में वर्णित विषय के गंभीरता के मद्देनजर उक्त सड़क का पुनः निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्णित पथ का 5 वर्षों तक Routine Maintenance कार्य केन्द्रीय ऐजेन्सी NPCC के द्वारा कराना है, जिसकी अवधि दिनांक–15.02.2023 को समाप्त हो रही है। उक्त पथ पर मरम्मति का कार्य प्रगति पर है एवं 7 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा। 5 वर्ष Routine Maintenance समाप्त होने के उपरांत विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में मरम्मति संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–118/2022 ग्रा0का0वि0 343 राँची, दिनांक 01–03–2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–423 दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/22

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–118/2022 ग्रा0का0वि0 343 राँची, दिनांक 01–03–2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–118/2022 ग्रा0का0वि0 343 राँची, दिनांक 01–03–2022

प्रतिलिपि– सचिव कोयांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22

सरकार के उप सचिव।

(76)

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स0वि0स0 श्री रामदास सोरेन द्वारा सदन में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पथ–26 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री रामदास सोरेन, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला विधान–सभा क्षेत्र में बुरूडीह डैम स्थित है जहाँ आयेदिन राज्य तथा राज्य के बाहर से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित डैम जाने के लिए फुलडुंगरी मोड़ से लेकर बुरूडीह डैम तक सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है जिसके कारण पर्यटकों को उक्त डैम आने–जाने में काफी कठिनाई होती है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित डैम एक पर्यटक स्थल के रूप में होने के कारण उक्त क्षेत्र से सरकार को राजस्व की प्राप्ति के साथ–साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलती है जिससे उक्त क्षेत्र में पलायन की स्थिति नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित एवं राज्यहित में खण्ड–02 में वर्णित सड़क का निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान वित्तीय वर्ष में मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल 02 पथ (कुल लंबाई–7.650 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 02 पथ (कुल लंबाई–4.850 कि0मी0) प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने एवं बजटीय उपबंध के आलोक में मरम्मति/निर्माण कार्य पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–136/2022 ग्रा0का0वि0 339 राँची/दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–401 वि0स0, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–136/2022 ग्रा0का0वि0 339 राँची/दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि:– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–136/2022 ग्रा0का0वि0 339 राँची/दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि:– सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

77

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.22 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–02 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का प्रखण्ड–निरसा तथा प्रखण्ड–एगारकुड घनी आबादी खनन् व आद्योगिक क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड निरसा व प्रखण्ड–एगारकुड के चिरकुंडा में बस पड़ाव की व्यवस्था अब तक नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि बस पड़ाव नहीं होने के कारण आये दिन जाम लगा रहता है यात्रियों को आवागमन में परेशानी तथा दुर्घटनाएँ होते रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों प्रखण्डों में निरसा व चिरकुण्डा में बस पड़ाव निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निरसा प्रखण्ड चिरकुण्डा नगर परिषद के क्षेत्र से बाहर है। चिरकुण्डा नगर परिषद में बस पड़ाव निर्माण हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि चिन्हित किये जाने के उपरान्त नियमानुसार अग्रत्तर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– 5/न०वि०/तारांकित–04/2022 751 राँची, दिनांक 01/03/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–355 दिनांक–24.02.2022 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अवर सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

(78)

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स०वि०स० श्री नलिन सोरेन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–13 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड काठीकुण्ड अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहीं के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि ग्राम–गमरा से कुसुम्बा भाया बलिया पथ 5 कि०मी० पंचायत बड़तल्ला व पी०डब्ल्यू०डी० पथ मधुबन से ग्राम–जितपुर तक 3.5 कि०मी० तथा ग्राम–करणपुरा पी०डब्ल्यू०डी० पथ से करणपुरा नरोत्तम टोला होने हुए मजडीह तक 2 कि०मी० पंचायत कदमा निर्माण अबतक नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त तीनों पथों के ग्रामीणों को प्रखण्ड मुख्यालय जिला मुख्यालय तथा मरीजों के ईलाज कराने का आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित पथों का निर्माण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2021–22 में मा० स०वि०स० से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत निम्नांकित पथों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है :– 1. कैरासोल से आर०ई०ओ० रोड आसनपहाड़ी भाया काठीकुण्ड बाजार तक पथ का निर्माण कार्य – 5.25 कि०मी०। 2. पोखरिया से मुरकीपहाड़ी तक पथ निर्माण कार्य – 3.500 कि०मी०। विषयाधीन प्रश्न के क्रमांक–2 में अंकित पथ पी०डब्ल्यू०डी० पथ मधुबन से ग्राम–जितपुर तक पथ निर्माण कार्य–3.2 कि०मी० के प्राक्कलन की मांग विभागीय पत्रांक–266 (अनु०), दिनांक–24.02.22 द्वारा की गयी है। अवशेष पथों के संबंध में मा०स०वि०स० से प्राथमिकता आधारित अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–123/2022 ग्रा०का०वि० 323 राँची/दिनांक–28-02-2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, ज्ञा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–421, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/22
सरकार के उप सचिव।

K.T.O

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–123 / 2022 ग्रा0का0वि0 323 राँची / दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारख आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–123 / 2022 ग्रा0का0वि0 323 राँची / दिनांक– 28-02-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22
सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–22" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न (479)	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत एन0एच0–33 चंदवारा पथ से जयनगर भाया गौड़ा–कांको, चुटिया से शरमाटांड तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य जनहित में आवश्यक है, 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीनस्थ है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–24/2022, 776(S) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–332, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–24/2022, 776(S) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–24/2022, 776(S) राँची/दिनांक– 28-2-22
प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री दशरथ गागराई, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछे जानेवाला तारांकित

प्रश्न सं0–"पथ–28" का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–6161(S), दिनांक 26.08.2015 द्वारा नवसृजित पथ प्रमण्डल सरायकेला–खरसावाँ, रामगढ़ एवं सिमडेगा को स्थायी किया गया है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि नवसृजित पथ प्रमण्डल, सराकेला–खरसावाँ सिमडेगा एवं रामगढ़ का स्थायीकरण किये जाने के बावजूद भी तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों का सृजन नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं0–6161 दिनांक–26.08.2015 के द्वारा पथ प्रमण्डल, रामगढ़, सरायकेला–खरसावाँ एवं सिमडेगा की स्थापना एवं उनके अंतर्गत कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता के पदों का स्थायीकरण किया गया है। विभागीय राज्यादेश सं0–2323 दिनांक–29.03.2008 के अनुसार उक्त प्रमण्डलों में तृतीय वर्ग के पद यथा–प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी, पत्राचार लिपिक, विपत्र लिपिक तथा रोकड़पाल के पद पूर्व से ही सृजित है। जबकि अन्य पद यथा–स्टेनो–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर, डीड ऑपरेटर, शोध सहायक, अमीन, जीप चालक, अनुसेवक तथा प्रयोगशाला सेवक के पदों को वाह्य स्रोत पर कार्य कराने का निर्णय लिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऊपर वर्णित नवसृजित पथ प्रमण्डलों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों के सृजन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक: प0नि0वि0–11–ता0प्र0–30 / 2022(बजट) 779(S) राँची / दिनांक : 28-2-22

प्रतिलिपि : श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–403 दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक: प0नि0वि0–11–ता0प्र0–30 / 2022(बजट) 779(S) राँची / दिनांक : 28-2-22

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक: प0नि0वि0–11–ता0प्र0–30 / 2022(बजट) 779(S) राँची / दिनांक : 28-2-22

प्रतिलिपि : श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

28/02/2022

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(8)

डा० सरफराज अहमद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 02 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1-	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह एवं धनबाद जिला में बड़ी संख्या में चापाकल डीप बोरिंग और जल –मीनारों का निर्माण करवाया गया है;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि कई चापाकल डीप बोरिंग और जलमीनार खराब होने के कारण पेयजलापूर्ति बाधित हो गया है;	गिरिडीह जिला • इस जिला अन्तर्गत लगभग 25 लाख ग्रामीण आबादी के लिए कुल चालू नलकूपों की संख्या–28238 है, जो औसतन 90 व्यक्ति पर 01 अदद चालू चापाकल उपलब्ध है जो विभागीय मानक के अनुरूप है। • दिनांक– 01.04.2021 के पश्चात् अबतक कुल 6982 अदद चपाकलों को साधारण मरम्मति कराकर चालू की गई है एवं 1817 अदद सड़े राईजर पाईप को बदल कर चापाकल चालू की गई है। • वृहत् जलमीनार की कुल संख्या– 29 तथा लघु जलमीनार की संख्या– 823 है। सभी वृहत जलमीनार वर्त्तमान में चालू है। 07 लघु जलमीनार वर्त्तमान में बन्द है जिसकी मरम्मति कर चालू करने की कार्रवाई की जा रही है। • इसके अतिरिक्त इस जिला के अन्तर्गत 11 वृहत एवं 139 अदद नए लघु जलमीनार का निर्माण किया जा रहा है। धनबाद जिला • इस जिला अन्तर्गत लगभग 14 लाख ग्रामीण आबादी के लिए कुल चालू नलकूपों की संख्या– 17817 अदद है, जो औसतन 78 व्यक्ति पर 01 अदद चालू चापाकल उपलब्ध है जो विभागीय मानक के अनुरूप है। • दिनांक–01.04.2021 के पश्चात् अबतक कुल– 9322 अदद चपाकलों को साधारण मरम्मति कराकर चालू कर दी गई है एवं 840 अदद सड़े राईजर पाईप को बदल दी गई है। • वृहत् जलमीनार की कुल संख्या 22 तथा लघु जलमीनार की संख्या 206 अदद है। सभी वृहत् जलमीनार वर्त्तमान में चालू है। 10 अदद लघु जलमीनार वर्त्तमान में बन्द है जिसकी मरम्मति कर चालू करने की कार्रवाई की जा रही है। • इसके अतिरिक्त इस जिला के अन्तर्गत 06 अदद वृहत् जलमीनार का निर्माण किया जा रहा है। डीप बोरिंग/चापाकल का बोर Collapse हो जाने पर जलापूर्ति योजनाओं को Source Relocation कर चालू किया जाता है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार समुचित पेयजलापूर्ति हेतु गिरिडीह एवं धनबाद जिला में खराब पड़े चापाकलों डीप बोरिंग और जल–मीनारों की मरम्मति करवाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	चापाकल/डीप बोरिंग की साधारण मरम्मति नियमित रूप से की जाती है। खराब नलकूपों की शिकायत प्राप्त होने पर 72 घंटो के अन्दर मरम्मति कर चापाकल चालू कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बड़े जलमीनारों एवं डीप बोरिंग के बन्द होने की सूचना पर कार्यरत एजेंसी/विभाग द्वारा शीघ्र चालू करने की कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–171/2021– 1193 राँची, दिनांक :– 28/2/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 429, दिनांक– 24.02.2022 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.2022
(श्यामा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–171/2021– 1193 राँची, दिनांक :– 28/2/22

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28-02-2022
(श्यामा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव।

श्री भूषण बड़ा, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक 02.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय.–09 का उत्तर प्रतिवेदन

(82)

क्र. सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री मिथिलेश ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के साथ राज्य के समस्त जल सहियाओं का मानदेय प्रतिमाह 1000/– रुपये निर्धारित है, जो 33.33 रुपये प्रतिदिन मात्र है;	स्वीकारात्मक । पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड के विभागीय संकल्प संख्या–303 दिनांक 01.03.2019 के आलोक में राज्य अंतर्गत कार्यरत जल सहियाओं को प्रतिमाह 1000/– रुपये मानदेय निर्धारित है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में इस कमरतोड़ महंगाई के विक्राल रूप पर गौर करने के पश्चात राज्य के समस्त जल सहियाओं का मानदेय में बढ़ोतरी आवश्यक आवश्यकता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि पूर्व के सरकार से वर्ष–2019 के अंत में समस्त जलसहियाओं को पांच माह का 5000/– रुपये मानदेय प्राप्त होने के पश्चात 27–माह का मानदेय जलसहियाओं को अबतक भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण राज्य के समस्त जलसहिया आर्थिक तंगी का सामना करने को विवश है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में राज्यांतर्गत कार्यरत सभी जल सहियाओं का वित्तीय वर्ष 2021–22 में जल जीवन मिशन के मद से तीन माह (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर) का मानदेय भुगतान हेतु राशि आवंटनादेश संख्या 226(आ0)/SWSM दिनांक 11.10.2021 के माध्यम से सभी प्रमंडलों को निर्गत किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के जलसहियाओं का मानदेय 1000/– रुपये से बढ़ाकर 5000/– रुपये करने, एवं इनके 27–माह का बकाया मानदेय की राशि का भुगतान शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि जल सहियाओं के नियमित मानदेय 15वें वित्त आयोग के मार्गदर्शिका की कण्डिका–5.4 के अंतर्गत Water & Sanitation (Tied Grant Fund) की 60% राशि के Technical & Administration Support हेतु कर्णांकित 10% की राशि तथा जल जीवन मिशन (JJM) के Support मद की राशि से प्रतिमाह 1000/– रुपये भुगतान करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को भेजी गयी है, जो प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में जल सहियाओं का मानदेय 1000/– से बढ़ाकर 5000/– रुपये करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: SBM(G)/वि०स०तारांकित प्रश्न सं0–49/2022 – 143 दिनांक 28/02/2022

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं. 427/वि. स. दिनांक–24.02.2022 के क्रम में 25 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक
SBM(G), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

83

डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–13 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग)।
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत गोमिया, कसमार एवं पेटरवार प्रखण्ड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (1) चिपरी–नरकंडी के बीच में कोनी नदी (2) चुट्टे पंचायत अन्तर्गत–(क) पिपराबाद के खिराबेड़ा के नदी है (ख) चयाटाँड के मरघटिया नदी (ग) शास्त्रीनगर के कुरकुटिया नदी (घ) दानरा एवं नोकण्डा के बीच नोकण्डा नदी (ङ) करमटिया गाँव एवं सेवई के बीच चिडवा (3) लोधी पंचायत अन्तर्गत बरतुआ गाँव के चिडवा नदी (4) कोदवाटांड पंचायत के छरछरीय नाला (5) बडकी पुन्नू पंचायत अन्तर्गत गांगपुर पथ में गढजोरिया नाला (6) टिकाहारा पंचायत के मातकोम टांड से जरीपुटू पथ में लोकल नाला (7) घवैया पंचायत के गोपो और पालु के बीच गधोलिया नाला (8) अईयर से गांगपुर पथ केरी नाला (9) कुन्दा पंचायत में गुजरू कुन्दा बहगाँव में चुगनुनाला (10) कसमार पंचायत अन्तर्गत (क) बेन्दोटांड के बीच खांजो नदी (ख) कसमार आना पोखर रोड से मायापुर के बीच खांजो नदी (11) बगदा पंचायत अन्तर्गत रघुनाथपुर में बोड़वागढा नदी (12) मुरहुलसुदी पंचायत अन्तर्गत सुदी–जुमरा गोवई नदी (13) अरजुआ पंचायत अन्तर्गत चिरूवाबेड़ा में अम्बागढा नदी में पुलों का निर्माण नही होने के ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन पुलों का निर्माण कराना चाहती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स०वि०स० से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में क्रम सं० 1 में अंकित पुल की डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है, साथ ही बोकारो जिला के गोमिया प्रखण्ड के चतरोचट्टी पंचायत अन्तर्गत चतरोचट्टी तथा चिलगो गांव के बीच कन्नैया नदी के नावघाट में पुल निर्माण की तकनीकी स्वीकृत दी जा चुकी है। माननीय स०वि०स० से प्रश्नांकित अन्य पुलों की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 7 (वि०स०)–14/2022/ग्रा०का०वि० – 345 राँची, दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–406 वि०स० दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/22
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 7 (वि०स०)–14/2022/ग्रा०का०वि० – 345 राँची, दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 7 (वि०स०)–06/2022/ग्रा०का०वि० – 345 राँची, दिनांक – 01-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22
सरकार के अवर सचिव।

(84)

दिनांक–02.03.2022 को माननीय स०वि०स० श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राअ–17 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड उधवा के श्रीधर के कॉलोनी नं0–09 से कॉलोनी नं0–10 तक R.E.O पथ निर्माण कार्य जारी है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पड़ता है तथा इसके आसपास के क्षेत्र में गंगा कटाव होती रहती है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित R.E.O/ पथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण आने वाले दिनों में क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, जिस पथ के दोनों ओर गार्डवाल सहित बोल्डर पीचिंग का कार्य कराना अनिवार्य होगा;	स्वीकारात्मक। स्थल की आवश्यकतानुसार प्रावधान कराते हुए कार्य कराया जायेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित स्वीकृत व निर्माणाधीन योजना R.E.O. पथ के मध्य Chainage 515 पर लम्बाई 150 मी0 जल–जमाव वाले क्षेत्र में Causeway निर्माण कार्य कराने से बाढ़ के दिनों में पथ के कटाव से बचाव हो जा सकेगी;	स्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन योजना के चैनेज 515 मी0 पर प्रस्तावित 5M X 6M X 4M के पुलिया का प्रावधान पर्याप्त नहीं है। उक्त स्थान पर उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्वीकृत व निर्माणाधीन पथ पर खण्ड (2) और (3) में वर्णित कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में निम्न पुल योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है :– 1. साहेबगंज नगर पर्षद क्षेत्र के गोपालपुल से गंगा प्रसाद पूरब पंचायत अन्तर्गत शोभनपुर भट्ठा सिन्हा टोला के बीच बचोहिया नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण। 2. साहेबगंज प्रखण्ड अंतर्गत शोभनपुर से किसनप्रसाद बजरंग बली के पास गरगंग नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण। आगामी वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्रश्नाधीन पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर प्राथमिकता सूची के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–130 / 2022 ग्रा0का0वि0 ...362... राँची / दिनांक–01–03–2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–424, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–130 / 2022 ग्रा0का0वि0 342 राँची / दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–130 / 2022 ग्रा0का0वि0 342 राँची / दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22

सरकार के उप सचिव।

85

739
31/02/22

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य झारखण्ड विधानसभा द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–06 का उत्तर सामग्री.

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची के धुर्वा इलाके में राज्य सरकार "स्मार्ट सिटी" बना रही है, जिसमें केन्द्र सरकार का भी वित्तीय अंशदान है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। राँची स्मार्ट सिटी, राँची के धुर्वा क्षेत्र में HEC के द्वारा हस्तांतरित किए गए 656.30 एकड़ भूमि पर अवस्थित है एवं इसके आधारभूत संरचना यथा बिजली, पानी, सड़क इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। अबतक केन्द्र सरकार के द्वारा 490 करोड़ रूपये मात्र आवंटित की जा चुकी है। इसकी समतुल्य राशि झारखड सरकार के द्वारा भी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित किए गए हैं।
2	क्या यह बात सही है कि स्मार्ट सिटी की संरचनाएं काफी महंगी होने के कारण लोगों का रूझान इस परियोजना में शामिल होने के प्रति गंभीर नहीं है;	स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वर्तमान में 51 Plots में से 10 Plots का आवंटन Developers/ Builders को Land use Plan के आधार पर e-auction के माध्यम से किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त Plots आमजनों के लिए उपलब्ध नहीं है। आवासीय Plots, जिनका आवंटन हो चुका है, उन पर करीब 15000 Flats का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। ये Flats हर आय वर्ग के लोगों के लिए जैसे–इ०डब्लू०एस०, एल०आई०जी०, एम०आई०जी०, एच०आई०जी० इत्यादि के लिए उपलब्ध होंगी।
3	क्या यह बात सही है कि एक ही शहर में एक खास हिस्सा को स्मार्ट सिटी के विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित करने से शहरी गैरबराबरी को बढ़ावा मिल रहा है और शेष शहरी क्षेत्र की विकास संरचनाओं के निर्माण एवं पुनरूद्धार के लिए निधि की उपलब्धता में कमी हो जा रही है;.	एक ही शहर में एक खास हिस्से का स्मार्ट सिटी के रूप में नियोजित तरीके से विकास किया जा रहा है, जिससे नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं अन्य क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगा।

८	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार एक स्पष्ट शहरी विकास नीति की घोषणा करने तथा स्मार्ट सिटी की महंगी परियोजना चालू रखने पर पुनर्विचार करने एवं कमजोर शहरी संरचनावाले झारखण्ड राज्य के लिए स्मार्ट सिटी की उपयोगिता पर लग रहे प्रश्न चिन्हों से केन्द्र सरकार को अवगत कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राँची में स्मार्ट सिटी का विकास केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत की जा र. है। राँची में अलग से स्मार्ट सिटी के विकास हेतु एक बड़े क्षेत्रफल की भूमि की उपलब्धता को देखते हुए यहाँ पर Area Based Development के आधार पर ग्रीनफिल्ड स्मार्ट सिटी विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त योजना के अन्तर्गत ही राँची शहर के ट्रैफिक सिस्टम एवं सर्विलान्स को सुदृढ़ करने तथा Public Awareness/Help हेतु "कन्ट्रोल, कमाण्ड, कम्युनिकेशन सेन्टर" विकसित किया गया है। राँची में पब्लिक बाइसाईकिल शेयरिंग सिस्टम प्रारंभ किया गया है। चूँकि विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। इस क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा राज्य के कमजोर आधारभूत संरचनावाले शहरी क्षेत्र के विकास हेतु निरंतर अनेक प्रकार के विकास कार्य किए जा रहे हैं। जैसे–सड़क एवं नाली का निर्माण, आवश्कतानुसार सड़क का चौड़ीकरण, पुल एंव फ्लाई ओवर का निर्माण, पाईप द्वारा पेयजलापूर्ति की व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन, पार्कों का निर्माण, बस पड़ाव का निर्माण, वेंडर मार्केट, रविन्द्र भवन, बहुउद्देशीय सांस्कृति भवन आदि का निर्माण।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–03 / वि०स० / तारांकित प्रश्न–03 / 2022 / न०वि०– 739 दि०– 28/02/22

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के उनके पत्रांक–352, दिनांक–24.02.2022 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.22
सरकार के अवर सचिव।

(86)

श्री सुखराम उराँव, मा०स० विधान सभा द्वारा दिनांक 02.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–07 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में चक्रधरपुर एक नगरपालिका क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हल्की बारिश में भी ड्रेनेज सिस्टम के अभाव के कारण चक्रधरपुर नगरपालिका क्षेत्र के सभी नालियों के साथ–साथ सड़को पर भी बारिश का जल जमाव होने लगता है, जिस कारण धार्मिक स्थल के साथ–साथ आमजनों एवं विधार्थियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वैसे क्षेत्रों में जहाँ जल–जमाव होता है, वैसे स्थलों को चिन्हित कर निविदा के माध्यम से सड़क एवं नाली का निर्माण कराया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चक्रधरपुर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरूस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5 / न०वि० / वि०स० तारांकित–03 / 2022 731 रॉंची, दिनांक– 28/02/22

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं० प्र०–416 वि०स०, दि०–24.02.2022 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के अवर सचिव।

E:\...\Question & Answer.docx_291

(87)

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का प्रखण्ड निरसा घनी आबादी, खनन् एवं औद्योगिक क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड निरसा अन्तर्गत जामताड़ा रोड मिथे बेलडांगा से पुरनी होते हुए आपटा तक 07 (सात) कि०मी० पथ अत्यन्त ही जर्जर हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ के जर्जर होने के कारण बड़ी आबादी के आमलोगों को व दो पहिया, चार पहिया वाहनों के आवागमन में काफी परेशानी उठाना पड़ता है तथा आये दिन दुर्घटना भी होते रहता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त पथ का मरम्मतिकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष–2021–22 में मा०स०वि०स० द्वारा अनुशंसित कुल–4 पथों (कुल लम्बाई–11.50 कि०मी०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। साथ ही कुल–3 पथों (ल०–8.650 कि०मी०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 06(वि०स०–12)–131/2022 ग्रा०का०वि० 341 राँची, दिनांक 01-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा०वि०स० को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–411 दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1/3/22

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 06(वि०स०–12)–131/2022 ग्रा०का०वि० 341 राँची, दिनांक 01-03-2022

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 06(वि०स०–12)–131/2022 ग्रा०का०वि० 341 राँची, दिनांक 01-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1/3/22

सरकार के उप सचिव।

(89)

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री रामचन्द्र सिंह माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत नेतरहाट से बराही माया सिरसी तक–7 कि0मी0 पथ निर्माण कराने से महुआटांड़ से नेतरहाट की दूरी अत्यंत ही कम हो जायेगी;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के वर्णित पथ में ज्यादातर Primitive Tribe (आदिम जनजाति) बहुल ग्राम पड़ता है, जिन्हें आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथ का कुछ हिस्सा वन विभाग में भी पड़ता है जिसका NOC नहीं दिया गया है;	स्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ को वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हुए इसी वित्तीय वर्ष में पथ निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–117/2022 ग्रा0का0वि0 348 राँची, दिनांक 01–03–2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, ज्ञा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–350 दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/22
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–117/2022 ग्रा0का0वि0 348 राँची, दिनांक 01–03–2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–117/2022 ग्रा0का0वि0 348 राँची, दिनांक 01–03–2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रा0का0वि0, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22
सरकार के उप सचिव।

89

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीया स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–37 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य भर में NRLM के अंतर्गत JSLPS के तहत IPRP/IBAP के द्वारा वर्ष 2014 से ग्राम संगठन और संकुल संगठन के निर्माण, वित्तीय समावेशन, आजीविका, सामाजिक कार्य एवं योजनाओं का ससमय निष्पादन करने कार्य करते रहे है।</td><td><u>स्वीकारात्मक</u>
DAY-NRLM के अंतर्गत ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन (CLF) का गठन किया जाता है। संकुल स्तरीय संगठन (CLF) लगभग 2500 से 4000 महिलाओं का एक संगठन होता है। संकुल स्तरीय संगठन (CLF) के अंतर्गत गाँव एवं पंचायत स्तर पर कार्य करने हेतु "Inter अथवा Matric उत्तीर्ण" ग्रामीण volunteers/ सामुदायिक कैडर Block Anchor Person (BAP)/Professional Resource Person (PRP) रखने का प्रावधान है। ये सभी ग्रामीण volunteers/ सामुदायिक कैडर (BAP/PRP) इन्ही स्वयं सहायता समूह (SHG) से चुनकर आते हैं।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि JSLPS द्वारा संचालित सभी प्रकार के योजनाओं एवं कार्यों के अनुपात में बुनियादी सेवा, सुविधाएँ और मानदेय मिलना चाहिए उनसे वंचित है।</td><td><u>अस्वीकारात्मक</u>
PRP/BAP CLF के "ग्रामीण volunteer/ सामुदायिक कैडर" हैं जिनको मानदेय एवं अन्य भत्ता नियमानुसार इन संकुल स्तरीय संगठन (CLF) के द्वारा "कैडर भुगतान सेवा" की मदद से किया जाता है जिसका विवरण निम्नलिखित है;
<table>
<tr><th>ग्रामीण volunteers (सामुदायिक कैडर) का प्रकार</th><th>मानदेय दर</th><th>CLF द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (प्रतिमाह अधिकतम 26 दिन हेतु)</th><th>क्षेत्र भ्रमण हेतु भत्ता (प्रतिमाह)</th><th>मोबाईल खर्च भत्ता (प्रतिमाह)</th><th>कुल (प्रतिमाह)</th></tr>
<tr><td>PRP</td><td>Rs 500 (प्रति कार्य दिवस)</td><td>Rs 13,000</td><td>Rs 2000</td><td>Rs 1000</td><td>Rs 16,000</td></tr>
<tr><td>BAP</td><td>Rs 750 (प्रति कार्य दिवस)</td><td>Rs 19,500</td><td>Rs 2500</td><td>Rs 1000</td><td>Rs 23,000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या सह बात सही है कि आंतरिक PRP/BAP के मानदेय FTA में वर्ष 2014 से लेकर अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई है।</td><td><u>स्वीकारात्मक</u>
झारखण्ड में इन पंचायत स्तरीय ग्रामीण volunteers/सामुदायिक कैडर (PRP/BAP) का मानदेय एवं अन्य भत्ते DAY-NRLM कार्यक्रम के अंतर्गत बेहतर है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आंतरिक PRP/BAP के मानदेय में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?</td><td><u>अस्वीकारात्मक</u>
Block Anchor Person (BAP)/Professional Resource Person (PRP) कैडर का मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव विचाराधीन नही है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–JSLPS/NRLM/SMIB/ ज्ञा०वि०स०/2022/137/ 733 दिनांक– 28/02/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–408, दिनांक–24.02.2022 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(90)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम्य–03 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू के द्वारा पांकी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 05 (पाँच) पुल संवेदक मे० सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन, स्टेशन रोड, रेड़मा, डाल्टनगंज, पलामू के द्वारा निर्माणाधीन है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू के मासिक एकरारनामा के अनुसार खण्ड–1 में वर्णित सभी पुल निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि से काफी विलम्बित है, जिसका मुख्य कारण संवेदक द्वारा झारखण्ड संवेदक नियमावली के नियम 10.1.9 एवं 11.1.4 का घोर उल्लंघन कर बिना किसी विभागीय प्रक्रिया के Subletting कर दिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त संवेदक के द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू के पत्रांक 303, दिनांक 12.04.2021 में अभियंताओं के आदेश का अवहेलना किया गया है तथा अपने मनमाने ढंग से घटिया निर्माण करने का उदाहरण ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या–126 राँची 23.07.2021 में गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति का जिक्र है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त संवेदक को लंबित कार्य पूर्ण होने तक नये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने का आदेश देने तथा झारखण्ड संवेदक नियमावली के नियम 10.1.9 एवं 11.1.4 का उल्लंघन करने के कारण काली सूची में डालने तथा निलंबित करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभाग द्वारा गठित जाँच दल से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–11/2022/ग्रा०का०वि० – 346 राँची, दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–347 वि०स० दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/22
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–11/2022/ग्रा०का०वि० – 346 राँची, दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–11/2022/ग्रा०का०वि० – 346 राँची, दिनांक– 01-03-2022

प्रतिलिपि:– सचिव कोषांग ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/22
सरकार के अवर सचिव

(91)

डॉ सरफराज अहमद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–09 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची स्थित सेल सिटी न्यू पुंदाग के रोड नं०–09 से एच०ई०सी० साईड–4 पुल तक जर्जर पथ का कालीकरण एवं नाला निर्माण के लिए राँची नगर निगम द्वारा 51,24,600/– रूपये मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसकी निविदा प्रकाशित नहीं की गयी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राँची नगर निगम को शहरी परिवहन मद से 15,67,58,148 (पन्द्रह करोड़ सड़सठ लाख अनठावन हजार एक सौ छियालीस) रूपये पत्रांक–107 दिनांक–15.09.2021 एवं पत्रांक–99 दिनांक–08.09.2021 द्वारा स्वीकृत किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में खण्ड–01 में वर्णित सड़क का कालीकरण एवं नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राँची नगर निगम द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5/न०वि०/वि०सं० तारांकित–01/2022 733 राँची, दिनांक 28/02/22

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–420 दिनांक–24.02.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022

सरकार के अवर सचिव।

(92)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक 02.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय•-07 का उत्तर प्रतिवेदन

क्रम सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री मिथिलेश ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अंतर्गत बोरियो प्रखण्ड में कार्यरत जल सहियाओं को मानदेय सरकार द्वारा वर्ष 2019 में एक हजार रुपये मासिक तय किया गया है;	स्वीकारात्मक । पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड के विभागीय संकल्प संख्या–303 दिनांक 01.03.2019 के आलोक में राज्य अंतर्गत कार्यरत जल सहियाओं को प्रतिमाह 1000/– रुपये मानदेय निर्धारित है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 के वर्णित जलसहियाओं के खाते में वर्ष 2019 में 5 माह का मानदेय के रूप में दिया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि बोरियो प्रखण्ड में कार्यरत आधे से अधिक जलसहियाओं बिना मानदेय के ही कार्यरत है;	आंशिक स्वीकारात्मक बोरिया प्रखण्ड अंतर्गत कुल कार्यरत जलसहियाओं की संख्या 234 है, जिसमें से 150 अदद् जलसहियाओं को मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। शेष जल सहिया के मानदेय भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 के आलोक में 1 हजार रुपया मानदेय के साथ ही शेष जलसहियाओं को मानदेय भुगतान एवं बकाया राशि भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि जल सहियाओं के नियमित मानदेय 15वें वित्त आयोग के मार्गदर्शिका की कण्डिका–5.4 के अंतर्गत Water & Sanitation (Tied Grant Fund) की 60% राशि के Technical & Administration Support हेतु कर्णांकित 10% की राशि तथा जल जीवन मिशन (JJM) के Support मद की राशि से भुगतान करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को भेजी गयी है, जो प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: SBM(G)/वि०स०तारांकित प्रश्न सं0–48/2022 – 142 दिनांक 28/02/2022

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं. 337/वि. स. दिनांक–24.02 2022 के क्रम में 25 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/2022
संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक
SBM(G), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक:– SBM(G)/वि०स०तारांकित प्रश्न सं0–48/2022 – 142 दिनांक 28/02/2022

प्रतिलिपि:–सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र.–6)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/2022
संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक
SBM(G), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(93)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला एक उग्रवाद प्रभावित जिला है जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में भी शामिल है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि आकांक्षी जिला में होने के बावजूद बगोदर में गमहरिया, कोल्हारिया, अखैना, पुरनीटांड, कंझिया, जमुनियाटांड, खैरागढ़ा, बिंद, पहाड़पुर सरिया प्रखण्ड में ढबिया, अलरती, पार करम्बा, श्रीरामडीह, सिमराबेड़ा, सर्वोदय आश्रम, सिमराटोला, कारा पत्थर, पोखरियाडीह, तुलसियाटांड, कोड़ाडीह, कोनिया, परसबनी, और बिरनी प्रखण्ड में कोलकियारी, रोहनियाबेड़ा, खरखुंदो, तुलसीटांड, असंसीघा, रतनपुरा, दुधियानो, खंबराडीह, जमुनिया, माथाडीह इत्यादि गांव सड़क से वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–2 में उल्लिखित ग्रामों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष–2021–22 में मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल–6 पथों (कुल लम्बाई–18.660 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। साथ ही कुल–3 पथों (ल0–8.60 कि0मी0) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–89 / 2022 ग्रा0का0वि0 303 राँची, दिनांक 25-02-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–84 दिनांक–17.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–89 / 2022 ग्रा0का0वि0 303 राँची, दिनांक 25-02-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–89 / 2022 ग्रा0का0वि0 303 राँची, दिनांक 25-02-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(34)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–भ0–04 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रम सं0	प्रश्न	उतर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा निकाले जा रहे सभी निविदाओं में संवेदक/ निविदाकर्ताओं से उनके पिछले पाँच वर्ष का कार्यानुभव देखा जाता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलवे के निविदाओं में पिछले सात साल के कार्यनुभव के आधार पर कार्य आवंटित किया जाता है;	स्वीकारात्मक। मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, संयुक्त कार्यालय, राँची के पत्रांक–319 दिनांक–25.02.2022 द्वारा प्रतिवेदित है कि वर्तमान में भवन निर्माण विभाग में रू0 2.50 करोड़ की लागत से ऊपर की योजना की निविदा **SBD** पद्धति से आमंत्रित की जाती है, जो झारखण्ड मंत्रिपरिषद् से स्वीकृत है।
2.	क्या यह बात सही है कि पिछले दो वर्ष से प्रायः आर्थिक गतिविधियाँ शिथिल/प्रभावित रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलवे के निविदाओं के तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जानेवाली निविदाओं में संवेदकों/निविदाकर्त्ताओं के कार्य अनुभव को सात साल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्न विषय नीतिगत मामला है।

28/02/22
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक– भ0–03–विधायी–(ता0प्र0भ0–04)–07/22...714.(95) राँची, दिनांक– 28-2-22

प्रतिलिपि– श्री छोटेलाल टूडू, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–339 वि0स0 दिनांक –24.02.22 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ प्रतियों में)सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/02/22
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।